LOK SABHA DEBATES

(Part I — Proceedings with Questions and Answers)

The House met at Eleven of the Clock

Monday, December 18, 2023 / Agrahayana 27, 1945 (Saka)

HON'BLE SPEAKER

Shri Om Birla

PANEL OF CHAIRPERSONS

Shrimati Rama Devi

Dr. Kirit P. Solanki

Shri Rajendra Agrawal

Shri Kodikunnil Suresh

Shri A. Raja

Shri P.V. Midhun Reddy

Shri Bhartruhari Mahtab

Shri N.K. Premachandran

Dr. Kakoli Ghosh Dastidar

Shri Shrirang Appa Barne

LOK SABHA DEBATES

PART I – QUESTIONS AND ANSWERS

Monday, December 18, 2023 / Agrahayana 27, 1945 (Saka)

CONTENTS **PAGES**

WELCOME TO PARLIAMENTARY DELEGATION FROM SRILANKA	**1**
OBITUARY REFERENCE	**2**
REFERENCE RE: REVIEW OF SECURITY ARRANGEMENTS IN PARLIAMENT	**3 – 5**
RESIGNATION BY MEMBER	**6**
ORAL ANSWERS TO STARRED QUESTIONS (S.Q. NO. 201 – 203)	**6A – 30**
WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS (S.Q. NO. 204 – 209, 211 – 218, 220)	**31 – 50**
WRITTEN ANSWERS TO UNSTARRED QUESTIONS (U.S.Q. NO. 2301 – 2306, 2308, 2310, 2312 – 2403, 2405 – 2412, 2414 – 2433, 2435 – 2440, 2442, 2444 – 2527, 2529 – 2530)	**51 – 280**

सत्यमेव जयते

LOK SABHA DEBATES

(Part II - Proceedings other than Questions and Answers)

Monday, December 18, 2023 / Agrahayana 27, 1945 (Saka)

LOK SABHA DEBATES

PART II – PROCEEDINGS OTHER THAN QUESTIONS AND ANSWERS

Monday, December 18, 2023 / Agrahayana 27, 1945 (Saka)

C ON T E N T S **P A G E S**

RULING RE: NOTICES OF ADJOURNMENT MOTION	**281**
PAPERS LAID ON THE TABLE	**281 – 325**
MESSAGES FROM RAJYA SABHA	**325**
COMMITTEE ON PUBLIC ACCOUNTS **76th to 82nd Reports**	**326**
COMMITTEE ON ABSENCE OF MEMBERS FROM THE SITTINGS OF THE HOUSE **12th Report**	**326**
COMMITTEE ON THE WELFARE OF SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES **29th Report**	**326**
COMMITTEE ON WELFARE OF OTHER BACKWARD CLASSES **26th and 27th Reports**	**327**
COMMITTEE ON WELFARE OF OTHER BACKWARD CLASSES **Statements**	**327 – 28**
COMMITTEE ON PAPERS LAID ON THE TABLE **152nd to 159th Reports**	**328 – 29**
COMMITTEE ON SUBORDINATE LEGISLATION **32nd to 34th Reports**	**329 – 30**

STANDING COMMITTEE ON RAILWAYS **330**
17th Report

STANDING COMMITTEE ON CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION **330 – 31**
Statements

STANDING COMMITTEE ON RURAL DEVELOPMENT & PANCHAYATI RAJ **331**
36th Report

STANDING COMMITTEE ON RURAL DEVELOPMENT & PANCHAYATI RAJ **331**
Statements

STATEMENT RE: STATUS OF IMPLEMENTATION OF RECOMMENDATIONS IN 41ST REPORT OF STANDING COMMITTEE ON LABOUR, TEXTILES AND SKILL DEVELOPMENT – LAID **332**
Shri Arjun Ram Meghwal

STATEMENTS RE: STATUS OF IMPLEMENTATION OF RECOMMENDATIONS IN 313TH AND 343RD REPORTS OF STANDING COMMITTEE ON TRANSPORT, TOURISM AND CULTURE – LAID **332**
Adv. Ajay Bhatt

STANDING COMMITTEE ON CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION **332**
36th Report

BILL INTRODUCED **333 – 34**
Telecommunications Bill

MATTERS UNDER RULE 377 – LAID **335 – 48**

Shri Akshaibar Lal **335**

Shri Karadi Sanganna Amarappa **336**

Dr. Dhal Singh Bisen **336**

Shri Sudhakar Tukaram Shrangare **337**

Shri R.K. Singh Patel **337**

Shri Tirath Singh Rawat **338**

Shri Vijay Baghel **338**

Shri Parbatbhai Savabhai Patel **339**

Shri Mukesh Rajput **339**

Shri Sushil Kumar Singh **340**

Shri Ajay Nishad **340**

Shri Arun Kumar Sagar **341**

Shri Sanjay Seth **341**

Dr. Ramapati Ram Tripathi **342**

Shri Su. Thirunavukkarasar **342**

Shri K. Sudhakaran **343**

DR. DNV Senthilkumar S. **343**

Shri Lavu Srikrishna Devarayalu **344**

Prof. Sougata Ray **344**

Shri Prataprao Jadhav **345**

Shri Dulal Chandra Goswami **345**

Shri Anubhav Mohanty **346**

Kunwar Danish Ali **346**

Choudhary Mehboob Ali Kaiser **347**

Shri Mohammed Faizal P.P. **347**

Shri S. Muniswamy **348**

POST OFFICE BILL -- (Contd. --- Concluded) **349 – 58**

Dr. Beesetti Venkata Satyavathi **349 – 50**

Shri Bhola Singh **351**

Shri Prataprao Jadhav **352 – 53**

Shri Ramshiromani Verma **354**

Shri Devusinh Chauhan **355 – 56**

Motion for Consideration – Adopted **357**

Consideration of Clauses **358**

Motion to Pass **358**

NAMING OF MEMBERS **359**

MOTION RE: SUSPENSION OF MEMBERS **360 – 61**

MOTION RE: REFERRING QUESTION OF PRIVILEGE AGAINST DR. K. JAYAKUMAR, SHRI ABDUL KHALEQUE AND SHRI VIJAYKUMAR *ALIAS* VIJAY VASANTH, MPs TO COMMITTEE OF PRIVILEGES **361**

XXXXX

(1100/CP/SRG)

1100 बजे

(माननीय अध्यक्ष पीठासीन हुए)

श्रीलंका के संसदीय शिष्टमंडल का स्वागत

1100 बजे

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मुझे आपको सूचित करना है कि आज सदन में विशिष्ट दीर्घा में श्रीलंका की संसद के अध्यक्ष महामहिम महिंदा यापा अभयवर्दन के नेतृत्व में श्रीलंका समाजवादी लोकतान्त्रिक गणराज्य के संसदीय शिष्टमंडल के सदस्य विराजमान हैं। मैं अपनी ओर से तथा सदन के सभी माननीय सदस्यों की ओर से भारत की यात्रा पर आए हमारे सम्मानित अतिथियों का स्वागत एवं अभिनन्दन करता हूं।

श्रीलंका गणराज्य के संसदीय शिष्टमंडल का भारत आगमन शनिवार, 16 दिसम्बर, 2023 को हुआ था। उसी दिन शिष्टमंडल ने औरंगाबाद के लिए प्रस्थान किया था। शिष्टमंडल के सदस्य अपने प्रस्थान से पूर्व गुवाहाटी की भी यात्रा करेंगे। हम अपने देश में उनके सुखद और सफल प्रवास की कामना करते हैं। उनके माध्यम से हम श्रीलंका गणराज्य की संसद, वहां की सरकार और वहां की मित्रवत जनता को अपनी बधाई और शुभकामानएं प्रेषित करते हैं।

निधन संबंधी उल्लेख

1102 बजे

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मैं सभा को कुवैत अमीर के निधन की सूचना देना चाहता हूं। हमें कुवैत के अमीर महामहिम शेख नवाफ अल-अहमद अल-जबर अल-सबा के दु:खद निधन का संदेश प्राप्त हुआ है। शेख नवाफ का कुवैत के विकास और समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उनके निधन से कुवैत ने एक महान राजनेता को खो दिया है। शेख नवाफ के नेतृत्व में कुवैत के साथ भारत के घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं। कुवैत में रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों को भी उनकी कमी हमेशा महसूस होगी। इस कठिन समय में यह सभा कुवैत के शासक परिवार, नेताओं और कुवैत के नागरिकों के साथ एकजुटता के साथ, संवेदना के साथ खड़ी है।

अब सभा दिवंगत आत्मा की स्मृति में कुछ देर मौन रहेगी।

(तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।)

संसद की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा के बारे में उल्लेख

1103 बजे

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, लोक सभा में 13 दिसम्बर, 2023 को जो दुर्भाग्यपूर्ण और हम सबके लिए चिंताजनक घटना घटी, निश्चित रूप से पूरे सदन ने इस पर गहरी चिंता व्यक्त की थी। इस घटना पर सामूहिक रूप से भी हमने चिंता व्यक्त की थी और भविष्य में घटना न घटे, इसके लिए भी कार्य योजना बनाने की योजना बनाई थी। उसी दिन मैंने इस विषय पर सभी नेताओं के साथ विचार-विमर्श किया था और कैसे हम संसद की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत कर सकते हैं, उसके लिए हमारे सभी दलों के नेताओं ने बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव दिए थे। उन सुझावों में से कुछ पर अमल हुआ है, कुछ में आपके साथ हम और अमल करेंगे।

इस घटना की एक उच्चस्तरीय जांच हो, इसकी भी हमने योजना बनाई, उसकी जांच कमेटी बनाई और उसकी जांच शुरू हो गई है। पार्लियामेंट स्तर पर भी इसके लिए एक हाई पॉवर कमेटी बनाई है, जो संसद परिसर में सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेगी और किस तरीके से हम संसद की सुरक्षा को बेहतर कर सकते हैं, इसके लिए आप सबके सुझावों पर एक ठोस कार्य योजना भी बनायेंगे।

(1105/NK/RCP)

ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटना न घटे, इसके लिए हमारी सुरक्षा व्यवस्था व्यापक हो और यह सभी के सहयोग से हो। आप सभी भलीभांति अवगत हैं कि हमारे सदन में पूर्व में भी ऐसी घटनाएं कई बार हो चुकी हैं। सदन के अंदर आगंतुक और पिस्टल लाने, नारेबाजी करने, दर्शकदीर्घा से कूदन तथा पर्चे फेंकने वाली घटनाएं पूर्व में भी हुई थीं लेकिन उन सब घटनाओं पर भी माननीय सदस्यों ने विशेष रूप से, सामूहिकता से काम किया था।

…(<u>व्यवधान</u>)

माननीय अध्यक्ष : इस सदन में स्प्रे फेंकने जैसी घटना भी हुई, लेकिन हम सभी ने ऐसी घटनाओं के विरोध में एक स्वर में एक साथ मिलकर दृढ़संकल्प लिया था। आप सभी भलीभांति परिचित हैं कि संसद की सुरक्षा का क्षेत्राधिकार संसद सचिवालय के अंतर्गत आता है, इसलिए सुरक्षा के विषय में जो भी कार्य योजना बनेगी, वह संसद बनाएगी। हम आपसे विचार-विमर्श करके बनाएंगे और ठोस कार्य योजना बनाएंगे। पूर्व में भी जब ऐसी घटना घटी थी, तब तत्कालीन अध्यक्षों ने ही इसका संज्ञान लिया था और उस घटना पर कार्रवाई की थी।

…(<u>व्यवधान</u>)

माननीय अध्यक्ष : ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम इस घटना को लेकर कुछ राजनीति कर रहे हैं, यह किसी भी तरह की राजनीति करने वाली घटना नहीं है। इस घटना से कभी भी जिन माननीय सदस्यों का निलंबन हुआ है, वह उस घटना से संबंधित नहीं हैं। यह घटना अलग है। निलंबन का संबंध केवल संसद की गरिमा बनी रहे, उसकी प्रतिष्ठा बनी रहे, यह हम सब की जिम्मेदारी है।

1108 hours

(At this stage, Shri A. Raja, Shri Kodikunnil Suresh, Shri Kalyan Banerjee and some other hon. Members came and stood near the Table.)

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मुझे दुख है, मैं कभी किसी माननीय सदस्य का निलंबन नहीं करना चाहता हूं। मुझे व्यक्तिगत पीड़ा भी होती है कि जो माननीय सदस्य हैं कि उनका निलंबन करूं। लेकिन संसद की मर्यादा बनाए रखना, संसद की गरिमा बनाए रखना, हम सबकी जिम्मेदारी है। विशेष रूप से आपकी भी उतनी ही जिम्मेदारी है, इसलिए संसद की परंपराओं और परिपाटियों का श्रेष्ठ पालन हो। जब नई संसद बनी थी तो हमने सभी दलों के नेताओं से चर्चा भी की थी कि हम तख्ती लेकर नहीं आएंगे, सदन में उच्च कोटि की गरिमा और मर्यादा को बनाए रखेंगे और किसी तरीके से हंगामा नहीं करेंगे। देश की जनता भी ऐसे आचरण को कतई पसंद नहीं करती है। मेरा आपसे आग्रह है कि हम सब इस अपेक्षा के साथ कि ऐसी घटना न घटे और सदन के अंदर भी गरिमा बनी रहे, मर्यादा बनी रहे, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। इसीलिए भविष्य में सदन की गरिमा सर्वोपरि है।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : लोक सभा अध्यक्ष के रूप में मेरा सदैव यह प्रयास रहा है कि सदन में सार्थक चर्चा हो, सकारात्मक चर्चा हो, सहमति, असहमति हमारी लोकतंत्र की विशेषता है। लेकिन असहमति सकारात्मक हो और विरोध भी हो तो हम अपने शब्दों के अंदर विचारधारा के आधार पर विरोध करें। तख्तियां, नारेबाजी करना, वेल में आकर, आसन के नजदीक आना, यह सदन की गरिमा के अनुकूल नहीं है। देश की जनता भी इसको पसंद नहीं करती। इसलिए हम सब देश की प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए और व्यापक चर्चा और संवाद के साथ देश की जनता का कल्याण कर सकें, अंतिम व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन ला सकें, इसके लिए मैं आपका सहयोग चाहता हूं, मैं चाहता हूं, इस सदन की जो गरिमा रही है, बड़ी-बड़ी घटनाओं पर सार्थक चर्चा हुई है, संवाद हुआ है।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि राष्ट्र हित में अपने कर्तव्य निभाने के लिए आप निश्चित रूप से मुझे सहयोग करेंगे। पूर्व में भी आपका सहयोग मिला है। आप सहयोग करेंगे, सकारात्मक चर्चा करें, वाद-विवाद करें, सदन आपका है। सदन में सब को बोलने का अधिकार है, लेकिन तख्तियां लेकर आना उचित नही है। देश की जनता भी इसको पसंद नहीं करती है। मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप सब सदन का सहयोग करेंगे, प्रश्न काल को चलने देंगे। प्रश्न काल के बाद कोई भी विषय हो तो आप मुझसे चर्चा करें। मैं आपकी समस्याओं के समाधान का रास्ता निकालूंगा।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य यह सदन आपका है। पूर्व में भी जब कभी सदन में घटनाएं घटी हैं तो यह क्षेत्राधिकार संसद सचिवालय का आता है। मैंने पूर्व में भी कहा था, अध्यक्ष होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है कि सदन में सभी माननीय सदस्यों की सुरक्षा बनी रहे।

(1110/SK/PS)

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: इसके लिए आप सब बैठकर ही समीक्षा करेंगे। सुरक्षा के जो व्यापक इंतजाम हैं, लेकिन हम और व्यापक इंतजाम करेंगे। जहां सरकार का सहयोग लेना है, वहां सरकार का सहयोग भी लेंगे, लेकिन क्षेत्राधिकार हमेशा संसद का रहना चाहिए, आप भी इस मत के होंगे।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: इसलिए जो कुछ भी जिम्मेदारी है, वह मेरी है, संसद सचिवालय की है। आपकी हर चिंता का हम समाधान निकालेंगे।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, प्लीज़, अपने आसन पर विराजें।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: मैं आपकी चिंताओं को समझता हूं, लेकिन यह चिंता सबकी है।

… (व्यवधान)

सदस्य द्वारा त्यागपत्र

1112 बजे

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, मुझे सभा को सूचित करना है कि राजस्थान के नागौर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित श्री हनुमान बेनीवाल ने लोकसभा की अपनी सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया है।

मैंने 15 दिसंबर, 2003 से उनके त्यागपत्र को स्वीकार कर लिया है।

…

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: जोशी जी, क्या आप बोलना चाहते हैं?

… (व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री; कोयला मंत्री तथा खान मंत्री (श्री प्रहलाद जोशी): माननीय अध्यक्ष जी, मैं इतना ही बोलना चाहता हूं कि बीएसी में जो निर्णय हुआ था, उसमें सर्वसम्मति से स्वीकृति हुई थी कि सदन में हम प्लेकार्ड्स नहीं लाएंगे। आपने जब निवेदन किया था तब किसी ने इसका विरोध नहीं किया था और सबने, सभी पार्टियों ने स्वीकृति दी थी कि हम तख्तियां अंदर नहीं लाएंगे। … (व्यवधान)

मैं निवेदन करता हूं, प्रेक्टिकली यह सेशन 17वीं लोकसभा का अंतिम सेशन है। जो बाद में होता है, वह वोट ऑन एकाउंट पर होता है, इसीलिए चर्चा करनी चाहिए। … (व्यवधान) बहुत महत्वपूर्ण बिल भी हैं। अगर ये कोई विषय उठाते हैं तो हम सब चर्चा के लिए तैयार हैं। … (व्यवधान) इस तरीके से हंगामा खड़ा करना, जबकि जब आप बार-बार निवेदन कर रहे हैं। … (व्यवधान) आपने सब एमपीज़ को लैटर लिखा है। … (व्यवधान) आपने प्रिसिंडेंट का उल्लेख करते हुए लैटर लिखा है। … (व्यवधान) इसलिए मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि जो प्लेकार्ड्स लाए हैं, इसे विदड्रॉ करें। … (व्यवधान) महत्वपूर्ण चर्चा होनी चाहिए। … (व्यवधान) यह सदन चर्चा के लिए है। … (व्यवधान) हम सदन में चर्चा करना चाहते हैं, प्रश्न काल चलाना चाहते हैं।… (व्यवधान) मैं फिर से दोहराना चाहता हूं। Practically, this is the last session. … (*Interruptions*)

मैं निवेदन करता हूं, हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि जो निर्णय आपके समक्ष हुआ था, उसे स्वीकृति दी थी, इसलिए कृपया इसका पालन करके सदन चलाने के लिए बड़ा मन करके सदन चलाएं। … (व्यवधान) यही मेरी प्रार्थना है। … (व्यवधान)

(प्रश्न 201)

माननीय अध्यक्ष: क्वैश्चन नंबर 201, डॉ. अमर सिंह जी।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

… (व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र यादव: अध्यक्ष महोदय, उत्तर सभा पटल पर रख दिया गया है।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: अमर सिंह जी।

… (व्यवधान)

(इति)

(प्रश्न 202)

माननीय अध्यक्ष: क्वैश्चन नंबर 202, श्री एस. मुनिस्वामी

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

… (व्यवधान)

श्री श्रीपाद येसो नाईक: अध्यक्ष महोदय, उत्तर सभा पटल पर रख दिया गया है।… (व्यवधान)

(इति)

(PP 8-30)

(प्रश्न 203)

माननीय अध्यक्ष: क्वैश्चन नंबर 203, डॉ. जयंत कुमार राय।

… (व्यवधान)

डॉ. जयंत कुमार राय (जलपाईगुड़ी): माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि मुझे बहुत डिटेल्ड आंसर मिला है। … (व्यवधान)

मेरे क्षेत्र में कई स्कूल्स हैं, जहां केंद्रीय विद्यालयों में परमानेंट प्रिंसिपल नहीं हैं। मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि परमानेंट प्रिंसीपल के प्रोवीजन को लागू किया जाए और इमीडिएटली रिक्रूट किया जाए, so that our students will get benefits. … (*Interruptions*)

श्री धर्मेन्द्र प्रधान: माननीय अध्यक्ष जी, आदरणीय सदस्य ने अपनी कांस्टीटुएंसी में स्थायी रूप से प्रिंसिपल तथा अन्य प्राध्यापकों की नियुक्ति के बारे में कहा है। इन दिनों सैंट्रल स्कूलों में बहुत रिक्रूटमेंट्स हुई हैं और आने वाले एक-दो महीने में देश के सारे सैंटर्स में सारे रिक्त पद भर दिए जाएंगे।

… (व्यवधान)

(1115/KDS/SMN)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मैं आपसे पुन: आग्रह करता हूं, आप सभी ने कहा था कि तख्तियां लेकर नहीं आएंगे। यदि आप तख्तियां लेकर आएंगे, तो मैं सदन की कार्यवाही नहीं शुरू करूंगा, लेकिन आप तख्तियां लेकर आ रहे हैं और मर्यादा तोड़ रहे हैं। कृपया सदन की मर्यादाओं को मत तोड़ें। सदन तभी चलेगा, जब आप तख्तियां लेकर नहीं आएंगे।

… (<u>व्यवधान</u>)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मैं आपसे पुन: आग्रह करता हूं। यह आपका खुद का निर्णय, सामूहिक निर्णय था। आपने कहा था कि आप सदन की मर्यादा को बनाए रखेंगे और तख्तियां लेकर नहीं आएंगे।

… (<u>व्यवधान</u>)

माननीय अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

1116 बजे

<u>तत्पश्चात् लोक सभा बारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।</u>

(1200/MK/SM)

1200 बजे

लोक सभा बारह बजे पुनः समवेत् हुई।

(श्री राजेन्द्र अग्रवाल पीठासीन हुए)

… (व्यवधान)

स्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं के बारे में विनिर्णय

1200 बजे

माननीय सभापति (श्री राजेन्द्र अग्रवाल): माननीय सदस्यगण, कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव के नोटिसेज प्राप्त हुए हैं। माननीय अध्यक्ष जी ने किसी भी स्थगन प्रस्ताव के नोटिस को स्वीकृति प्रदान नहीं की है।

…(व्यवधान)

1200 बजे

(इस समय श्री कोडिकुन्नील सुरेश, श्री ए. राजा, श्री कल्याण बनर्जी और कुछ अन्य माननीय सदस्य आकर पटल के निकट खड़े हो गए।)

सभा पटल पर रखे गए पत्र

1201 बजे

माननीय सभापति : अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे।

आइटम नम्बर-2, राव इंद्रजीत सिंह जी।

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION, MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PLANNING AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS (RAO INDERJIT SINGH): Sir, I beg to lay on the Table:-

(1) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 40 of the Company Secretaries Act, 1980:-

(i) G.S.R.734(E) published in Gazette of India dated 12th October, 2023 making certain amendments in the Notification No. G.S.R.490(E) dated 13th July, 2007.

(ii) Annual Report of the Institute of Company Secretaries of India for the year ended 31 May, 2023, alongwith audited accounts published in Notification No. F.No.104/43/Accts.-1(A) in Gazette of India dated 26th September, 2023.

(2) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 30B of the Chartered Accountants Act, 1949:-

(i) Notification No.1-CA(7)/201A/2023 published in Gazette of India dated 21st August, 2023 containing corrigendum to the Notification No. 1-CA(7)/201/2023 dated 22nd June, 2023.

(ii) G.S.R.622(E) published in Gazette of India dated 24th August, 2023 making certain amendments in the Notification No. G.S.R.38(E) dated 19th January, 2011.

(iii) S.O.4455(E) published in Gazette of India dated 12th October, 2023 making certain amendments in the Notification No. G.S.R.38(E) dated 19th January, 2011.

(iv) S.O.4999(E) published in Gazette of India dated 21st November, 2023 making certain amendments in the Notification No. S.O.1591(E) dated 12th April, 2019.

(v) Annual Report of the Institute of Chartered Accountants of India for the year ended 31st March, 2023, alongwith audited accounts published in Notification No. 1-CA(5)/74/2023 in Gazette of India dated 27th September, 2023.

(3) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 40 of the Cost & Works Accountants Act, 1959:-

(i) G.S.R.743(E) published in Gazette of India dated 16th October, 2023 making certain amendments in the Notification No. G.S.R.787(E) dated 15th October, 2015.

(ii) G.S.R.741(E) published in Gazette of India dated 16th October, 2023 establishing a Tribunal consisting of the persons, mentioned therein, to decide any dispute arising under section 10A of the Cost and Works Accountants Act, 1959 in the matter of election to the Council of the Institute of Cost Accountants of India held in July, 2023.

(iii) Annual Report of the Institute of Cost Accountants of India for the year ended 31st March, 2023, alongwith audited accounts published in Notification No. G/20-CWA/9/2023 in Gazette of India dated 25th September, 2023.

(4) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Labour Economics Research and

Development, Delhi, for the year 2022-2023, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Institute of Labour Economics Research and Development, Delhi, for the year 2022-2023.

(5) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Financial Reporting Authority, New Delhi, for the year 2022-2023.

(ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the National Financial Reporting Authority, New Delhi, for the year 2022-2023, together with Audit Report thereon.

(iii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Financial Reporting Authority, New Delhi, for the year 2022-2023.

(6) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Competition Commission of India, New Delhi, for the year 2022-2023.

(7) A copy of the 9th Annual Report (Hindi and English versions) on the working and administration of the Companies Act, 2013 for the year ended 31st March, 2023.

… (*Interruptions*)

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री; संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): सभापति महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद, कोलकाता के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद, कोलकाता के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) (एक) कलाक्षेत्र फाउंडेशन, चेन्नई के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कलाक्षेत्र फाउंडेशन, चेन्नई के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) ललित कला अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ललित कला अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

… (व्यवधान)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF TOURISM (SHRI SHRIPAD YESSO NAIK): Sir, I beg to lay on the Table:-

(1) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (2) of Section 47 of the Indian Maritime University Act, 2008:-

(i) The Ph.D Ordinance-Minimum Standards and Procedures for Award of Ph.D Degree (Ordinance 01 of 2023) published in Notification No. IMU/HQ/ADM/Notification/2023/01 in Gazette of India dated 21st July, 2023.

(ii) The M.S. (Minimum Standards and Procedures for Award of MS) (Ordinance 02 of 2023) published in Notification No. IMU/HQ/ADM/Notification/2023/01 in Gazette of India dated 21st July, 2023.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

(3) (i) A copy of the Annual Administration Report (Hindi and English versions) of the V.O. Chidambaranar Port Authority, Thoothukudi, for the year 2022-2023.

(ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the V.O. Chidambaranar Port Authority, Thoothukudi, for the year 2022-2023, together with Audit Report thereon.

(iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the V.O. Chidambaranar Port Authority, Thoothukudi, for the year 2022-2023.

(iv) A copy of the Review (Hindi and English versions) on the Audited Accounts of the V.O. Chidambaranar Port Authority, Thoothukudi, for the year 2022-2023.

(4) (i) A copy of the Annual Administration Report (Hindi and English versions) of the Visakhapatnam Port Authority, Visakhapatnam, for the year 2022-2023, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Visakhapatnam Port Authority, Visakhapatnam, for the year 2022-2023.

(iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) on the Audited Accounts of the Visakhapatnam Port Authority, Visakhapatnam, for the year 2022-2023.

(5) (i) A copy of the Annual Administration Report (Hindi and English versions) of the Jawaharlal Nehru Port Authority, Navi Mumbai, for the year 2022-2023.

(ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of Jawaharlal Nehru Port Authority, Navi Mumbai, for the year 2022-2023, together with Audit Report thereon.

(iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Jawaharlal Nehru Port Authority, Navi Mumbai, for the year 2022-2023.

(iv) A copy of the Review (Hindi and English versions) on the Audited Accounts of the Jawaharlal Nehru Port Authority, Navi Mumbai, for the year 2022-2023.

(6) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Maritime University, Chennai, for the year 2022-2023.

(ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Indian Maritime University, Chennai, for the year 2022-2023, together with Audit Report thereon.

(iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Maritime University, Chennai, for the year 2022-2023.

(7) (i) A copy of the Annual Administration Report (Hindi and English versions) of the Calcutta Dock Labour Board, Kolkata, for the year 2022-2023, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Calcutta Dock Labour Board, Kolkata, for the year 2022-2023.

(8) (i) A copy of the Annual Administration Report (Hindi and English versions) of the New Mangalore Port Authority, Mangalore, for the year 2022-2023.

(ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the New Mangalore Port Authority, Mangalore, for the year 2022-2023, together with Audit Report thereon.

(iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the New Mangalore Port Authority, Mangalore, for the year 2022-2023.

(iv) A copy of the Review (Hindi and English versions) on the Audited Accounts of the New Mangalore Port Authority, Mangalore, for the year 2022-2023.

(9) (i) A copy of the Annual Administration Report (Hindi and English versions) of the Deendayal Port Authority, Kandla, for the year 2022-2023.

(ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Deendayal Port Authority, Kandla, for the year 2022-2023, together with Audit Report thereon.

(iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Deendayal Port Authority, Kandla, for the year 2022-2023.

(iv) A copy of the Review (Hindi and English versions) on the Audited Accounts of the Deendayal Port Authority, Kandla, for the year 2022-2023.

(10) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section 1(b) of Section 394 of the Companies Act, 2013:-

(a) (i) Review by the Government of the working of the Cochin Shipyard Limited, Kochi, for the year 2022-2023.

(ii) Annual Report of the Cochin Shipyard Limited, Kochi, for the year 2022-2023, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(b) (i) Review by the Government of the working of the Hooghly Cochin Shipyard Limited, Howrah, for the year 2022-2023.

(ii) Annual Report of the Hooghly Cochin Shipyard Limited, Howrah, for the year 2022-2023, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(11) (i) A copy of the Annual Administration Reports (Hindi and English versions) of the Seamen's Provident Fund Organisation, Mumbai, for the year 2022-2023, alongwith Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Seamen's Provident Fund Organisation, Mumbai.

… (*Interruptions*)

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (जनरल (सेवानिवृत्त) डॉ. वी.के. सिंह): सभापति महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 5 तथा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 की धारा 11 के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ. 3462(अ) जो दिनांक 2 अगस्त, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य में उसमें उल्लिखित राष्ट्रीय राजमार्गों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा जाना अधिसूचित किया गया है।

(दो) का.आ.3463(अ) जो दिनांक 2 अगस्त, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(तीन) का.आ.4111(अ) जो दिनांक 19 सितम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 10 मार्च, 2015 की अधिसूचना संख्या का.आ. 694(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(चार) का.आ.4112(अ) जो दिनांक 19 सितम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(पांच) का.आ.4113(अ) जो दिनांक 19 सितम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें दिनांक 20 मार्च, 2005 की अधिसूचना सं. का.आ. 1310(अ) का शुद्धिपत्र अंतर्विष्ट है।

(छह) का.आ.4557(अ) जो दिनांक 17 अक्तूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 29 अक्तूबर, 2014 की अधिसूचना संख्या का.आ. 2787(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(सात) का.आ.4558(अ) जो दिनांक 17 अक्तूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 5 मई, 2017 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1423(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(आठ) का.आ.4559(अ) जो दिनांक 17 अक्तूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 14 मई, 2020 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1505(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(नौ) का.आ.4560(अ) जो दिनांक 17 अक्तूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(दस) का.आ.4782(अ) जो दिनांक 3 नवम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(ग्यारह) का.आ.4783(अ) जो दिनांक 3 नवम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य में उसमें उल्लिखित राष्ट्रीय राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड को सौंपा जाना अधिसूचित किया गया है।

(बारह) का.आ.4784(अ) जो दिनांक 3 नवम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(तेरह) का.आ.4785(अ) जो दिनांक 3 नवम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 17 अप्रैल, 2015 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1034(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(चौदह) का.आ.4786(अ) जो दिनांक 3 नवम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 11 अगस्त, 2021 की अधिसूचना संख्या का.आ. 3227(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(पंद्रह) का.आ.4787(अ) जो दिनांक 3 नवम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 17 फरवरी, 2015 की अधिसूचना संख्या का.आ. 539(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(सोलह) का.आ.4788(अ) जो दिनांक 3 नवम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 3 जुलाई, 2020 की अधिसूचना संख्या का.आ. 2209(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(सत्रह) का.आ.4789(अ) जो दिनांक 3 नवम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित दो अधिसूचनाओं में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(अठारह) का.आ.4790(अ) जो दिनांक 3 नवम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 11 अगस्त, 2021 की अधिसूचना संख्या का.आ. 3228(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(उन्नीस) का.आ.4791(अ) जो दिनांक 3 नवम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 26 मई, 2023 की अधिसूचना संख्या का.आ. 2326(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(बीस) का.आ.4792(अ) जो दिनांक 3 नवम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 26 मई, 2023 की अधिसूचना संख्या का.आ. 2327(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(इक्कीस) का.आ.4793(अ) जो दिनांक 3 नवम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(बाईस) का.आ.4794(अ) जो दिनांक 3 नवम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा सिक्किम राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग को सीमा सड़क विकास बोर्ड को सौंपा जाना अधिसूचित किया गया है।

(तेईस) का.आ.4867(अ) जो दिनांक 9 नवम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा जाना अधिसूचित किया गया है।

(चौबीस) का.आ.5056(अ) जो दिनांक 24 नवम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 9 दिसम्बर, 2016 की अधिसूचना संख्या का.आ. 3690(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(पच्चीस) का.आ.5057(अ) जो दिनांक 24 नवम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(छब्बीस) का.आ.5058(अ) जो दिनांक 24 नवम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित दो अधिसूचनाओं को निरस्त किया गया है।

(सत्ताईस) का.आ.5059(अ) जो दिनांक 24 नवम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित दो अधिसूचनाओं को निरस्त किया गया है।

(अट्ठाईस) का.आ.5060(अ) जो दिनांक 28 नवम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 4 अप्रैल, 2011 की अधिसूचना संख्या का.आ. 689(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(उनतीस) का.आ.5100(अ) जो दिनांक 30 नवम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित राष्ट्रीय राजमार्गों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा जाना अधिसूचित किया गया है।

(तीस) का.आ.5101(अ) जो दिनांक 30 नवम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 3 फरवरी, 2021 की अधिसूचना संख्या का.आ. 515(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(इकतीस) का.आ.5102(अ) जो दिनांक 30 नवम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 12 जनवरी, 2023 की अधिसूचना संख्या का.आ. 199(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(बत्तीस) का.आ.5103(अ) जो दिनांक 30 नवम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(तैंतीस) का.आ.5104(अ) जो दिनांक 30 नवम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(चौंतीस) का.आ.5105(अ) जो दिनांक 30 नवम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(पैंतीस) का.आ.5106(अ) जो दिनांक 30 नवम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा मिजोरम राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 502क को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया है।

(छत्तीस) का.आ.5107(अ) जो दिनांक 30 नवम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 701क को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया है।

(सैंतीस) का.आ.5108(अ) जो दिनांक 30 नवम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 11 अगस्त, 2021 की अधिसूचना संख्या का.आ. 3228(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(2) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ.3409(अ) जो दिनांक 31 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा बिहार राज्य में एनएच-131क के नरेनपुर-पूर्णिया खंड की चार और उससे अधिक लेन परियोजना के लिए उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(दो) का.आ.3410(अ) जो दिनांक 31 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा केरल राज्य में एनएच-66 (पुराना एनएच-47) के कझाकुट्टम एलीवेटेड राजमार्ग खंड और तिरुवनंतपुरम – केरल/तमिलनाडु सीमा खंड की 2एलपीएस/4 लेन परियोजना के लिए उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(तीन) का.आ.3411(अ) जो दिनांक 31 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा मध्य प्रदेश राज्य में एनएच एनएचई-4 पर दिल्ली-वडोदरा एक्सप्रेसवे की 8 लेन खंड परियोजना के लिए उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(चार) का.आ.3500(अ) जो दिनांक 4 अगस्त, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा महाराष्ट्र राज्य में एनएच-753ञ के भदगांव-चालीसगांव खंड की 2एलपीएस/4 लेन परियोजना के लिए उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(पांच) का.आ.3501(अ) जो दिनांक 4 अगस्त, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा महाराष्ट्र राज्य में एनएच-353ग के गढ़चिरौली-अष्टी खंड की 2एलपीएस/4 लेन परियोजना के लिए उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(छह) का.आ.3502(अ) जो दिनांक 4 अगस्त, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा महाराष्ट्र राज्य में एनएच-166ड. के कराड से वीटा

खंड की 2एलपीएस/4 लेन परियोजना के लिए उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(सात) का.आ.3575(अ) जो दिनांक 10 अगस्त, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा गुजरात राज्य में एनएच-151क का ध्रोल-भद्र और भद्रपाटिया-पिपलिया खंड की चार और उससे अधिक लेन परियोजना के लिए उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(आठ) का.आ.3610(अ) जो दिनांक 11 अगस्त, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में एनएच-709ख के साथ 7.8 किमी की ओवरलैप लंबाई को छोड़कर शामली-मुजफ्फरनगर खंड की चार और उससे अधिक लेन परियोजना के लिए उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(नौ) का.आ.3611(अ) जो दिनांक 11 अगस्त, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 21 फरवरी, 2019 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1062(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(दस) का.आ.3612(अ) जो दिनांक 11 अगस्त, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा कर्नाटक राज्य में एनएच-150क के चल्लाकेरे से हिरियूर खंड की चार लेन परियोजना के लिए उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(ग्यारह) का.आ.3784(अ) जो दिनांक 24 अगस्त, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा महाराष्ट्र राज्य में एनएच-161क के अकोला-देवरी-अकोट खंड की परियोजना के लिए उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(बारह) का.आ.3785(अ) जो दिनांक 24 अगस्त, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा महाराष्ट्र राज्य में एनएच-965छ के सांगोला-जाठ खंड की 2एलपीएस/4 लेन परियोजना के लिए उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(तेरह) का.आ.3786(अ) जो दिनांक 24 अगस्त, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा तमिलनाडु राज्य में एनएच-209 (नया एनएच-83) के कमलापुरम-ओड्डनचत्रम खंड, ओड्डनचत्रम बाईपास खंड, ओड्डनचत्रम-मदाथुकुलम खंड, मदाथुकुलम-पोल्लाची खंड और पोल्लाची-कोयम्बटूर खंड को चार लेन का बनाने की परियोजना के लिए उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(चौदह) का.आ.3801(अ) जो दिनांक 24 अगस्त, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा महाराष्ट्र राज्य में एनएच-461ख के मालेगांव-रिसोड के पेव्ड सोल्डर सहित दो लेन की परियोजना के लिए उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(पंद्रह) का.आ.3802(अ) जो दिनांक 24 अगस्त, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा महाराष्ट्र राज्य में एनएच-353ट के नंदगांव पेठ-मोरशी खंड के 2एलपीएस/4 लेन खंड की परियोजना के लिए उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(सोलह) का.आ.3803(अ) जो दिनांक 24 अगस्त, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा महाराष्ट्र राज्य में एनएच-543 के देवरी से अमगांव खंड के 2एलपीएस/4 लेन खंड की परियोजना के लिए उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(सत्रह) का.आ.3808(अ) जो दिनांक 25 अगस्त, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा महाराष्ट्र राज्य में एनएच-548ख के ओमेरगा से औसा खंड के पेव्ड सोल्डर खंड सहित दो लेन की परियोजना के लिए उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(अठारह) का.आ.3809(अ) जो दिनांक 25 अगस्त, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा महाराष्ट्र राज्य में एनएच-353ङ के चिमूर से वारोरा खंड के 2एलपीएस/4 लेन खंड की परियोजना के लिए उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(उन्नीस) का.आ.3810(अ) जो दिनांक 25 अगस्त, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा महाराष्ट्र राज्य में एनएच-353ञ के मोरशी-चंदुरबाजार अचलपुर खंड के पेव्ड सोल्डर वाले खंड सहित दो लेन की परियोजना के लिए उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(बीस) का.आ.3821(अ) जो दिनांक 28 अगस्त, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा महाराष्ट्र राज्य में एनएच-753क के चिखली-ताकरखेड भगाइल खंड की चार और उससे अधिक लेन की परियोजना के लिए उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(इक्कीस) का.आ.3822(अ) जो दिनांक 28 अगस्त, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य में एनएच-67 (पुराना एनएच-63) के कर्नाटक/आन्ध्र सीमा से गूटी खंड की चार या उससे अधिक लेन खंड की परियोजना के लिए उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(बाईस) का.आ.3823(अ) जो दिनांक 28 अगस्त, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा कर्नाटक राज्य में एनएच-218 (नया एनएच-52) के

बीजापुर-हुबली खंड के पेव्ड सोल्डर सहित दो लेन की परियोजना के लिए उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(तेईस) का.आ.3824(अ) जो दिनांक 28 अगस्त, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-161क के अरनी-नायगांवबंदी खंड और पोहरादेवी लिंक तथा दिगरस टाउन पुनर्संरेखण की 2एलपीएस/4 लेन खंड की परियोजना के लिए उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(चौबीस) का.आ.3825(अ) जो दिनांक 28 अगस्त, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा महाराष्ट्र राज्य में पाटस-बारामती खंड के चार और उससे अधिक लेन खंड की परियोजना के लिए उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(पच्चीस) का.आ.3833(अ) जो दिनांक 29 अगस्त, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा महाराष्ट्र राज्य में एनएच-753ङ के अजंता-बुलढाणा खंड के 2एलपीएस/4 लेन खंड की परियोजना के लिए उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(छब्बीस) का.आ.3834(अ) जो दिनांक 29 अगस्त, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा महाराष्ट्र राज्य में एनएच-161क के अरनी-नायगांवबंदी खंड और पोहरादेवी लिंक तथा दिगरस टाउन पुनर्संरेखण के 2एलपीएस/4 लेन खंड की परियोजना के लिए उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(सताईस) का.आ.3835(अ) जो दिनांक 29 अगस्त, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा महाराष्ट्र राज्य में एनएच-353ग के सकोली भंडारा खंड के 2एलपीएस/4 लेन खंड की परियोजना के लिए उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(अट्ठाईस) का.आ.3887(अ) जो दिनांक 1 सितम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा महाराष्ट्र राज्य में एनएच-353ख के बामनी से नवेगांव खंड के 2एलपीएस/4 लेन खंड की परियोजना के लिए उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(उनतीस) का.आ.3888(अ) जो दिनांक 1 सितम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा महाराष्ट्र राज्य में एनएच-548घ के अधलगांव से जामखेड खंड के 2एलपीएस/4 लेन खंड की परियोजना के लिए उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(तीस) का.आ.3889(अ) जो दिनांक 1 सितम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा तेलंगाना राज्य में एनएच-167 के मिरयालागुडा से

कोडाड खंड के 2एलपीएस/4 लेन खंड की परियोजना के लिए उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(इकतीस) का.आ.3912(अ) जो दिनांक 4 सितम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा महाराष्ट्र राज्य में एनएच-353ट के मोरशी-वरुद पांढुर्ना एमएएच/एमपी सीमा खंड के 2एलपीएस/4 लेन खंड की परियोजना के लिए उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(बत्तीस) का.आ.3913(अ) जो दिनांक 4 सितम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा महाराष्ट्र राज्य में एनएच-753ञ के जलगांव-भगांव खंड के 2एलपीएस/4 लेन खंड की परियोजना के लिए उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(तैंतीस) का.आ.3966(अ) जो दिनांक 6 सितम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा महाराष्ट्र राज्य में एनएच-753ञ के चालीसगांव-नंदगांव-मनमाड खंड के 2एलपीएस/4 लेन खंड की परियोजना के लिए उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(चौंतीस) का.आ.4056(अ) जो दिनांक 13 सितम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 30 दिसम्बर, 2014 की अधिसूचना सं. का.आ.3319(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(पैंतीस) का.आ.4059(अ) जो दिनांक 13 सितम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा महाराष्ट्र राज्य में एनएच-61 के अहमदनगर बाईपास से खारवंडी कसार खंड के 2एलपीएस/4 लेन खंड की परियोजना के लिए उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(छत्तीस) का.आ.4083(अ) जो दिनांक 15 सितम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा महाराष्ट्र राज्य में एनएच-361ग के दिगरास-दरवाह-करंजा खंड के 2एलपीएस/4 लेन खंड की परियोजना के लिए उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(सैंतीस) का.आ.4338(अ) जो दिनांक 4 अक्तूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा पंजाब राज्य में एनएच-95 के 85.980 किमी से 170.000 किमी तक लुधियाना से तलवंडी की चार या उससे अधिक लेन के लिए उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(अड़तीस) का.आ.4339(अ) जो दिनांक 4 अक्तूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा ओडिशा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 153(ख) के नकटीदेउली-बौध खंड के 2एलपीएस+4एल के लिए उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(उनतालीस) का.आ.4353(अ) जो दिनांक 6 अक्तूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 48 (पुराना एनएच 8) के उदयपुर बाईपास की चार लेन के लिए उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(चालीस) का.आ.4388(अ) जो दिनांक 10 अक्तूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 753 के मानसर-सलाईखुर्द-तिरोरा के 2एलपीएस/4एल खंड के लिए उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(इकतालीस) का.आ.4389(अ) जो दिनांक 10 अक्तूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 548ग के अंजनगांव-मध्य प्रदेश सीमा के 2एलपीएस/4 एल खंड के लिए उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(बयालीस) का.आ.4390(अ) जो दिनांक 10 अक्तूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 930 के गढ़चिरौली – मुल खंड के 2एलपीएस/4 एल खंड के लिए उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(तैंतालीस) का.आ.4490(अ) जो दिनांक 12 अक्तूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 पर रीवा बाईपास खंड के लिए निर्माण, संचालन और हस्तांतरण (बीओटी) के आधार पर उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(चवालीस) का.आ.4504(अ) जो दिनांक 13 अक्तूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 544ड. के पेव्ड मदाकासिरा से सिरा खंड (एपी/केएनटी/सीमा तक) के दो लेन के खंड के लिए उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(पैंतालीस) का.आ.4624(अ) जो दिनांक 20 अक्तूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित था तथा जिसके द्वारा कर्नाटक राज्य में एनएच-4 के गब्बर से देवगिरि तक चार लेन की परियोजना के लिए उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(छियालीस) का.आ.4625(अ) जो दिनांक 20 अक्तूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित था तथा जिसके द्वारा राजस्थान राज्य में ब्यावर-आसींद खंड के पेव्ड शोल्डर के साथ दो लेन की परियोजना के लिए उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(सैंतालीस) का.आ.4637(अ) जो दिनांक 23 अक्तूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित था तथा जिसके द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 53 (पुराना एनएच-6) के रायपुर-औरंग खंड के चार लेन की परियोजना के लिए उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(अड़तालीस) का.आ.4820(अ) जो दिनांक 6 नवम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित था तथा जिसके द्वारा महाराष्ट्र राज्य में एनएच-548घ के मंजरसुम्भा खंड के पिंपला जंक्शन के 2एलपीएस/4 लेन खंड की परियोजना के लिए उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(उनचास) का.आ.4821(अ) जो दिनांक 6 नवम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा महाराष्ट्र राज्य में एनएच-548घ के अहमदपुर से पिंपला खंड के 2एलपीएस/4 लेन खंड की परियोजना के लिए उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(पचास) का.आ.4822(अ) जो दिनांक 6 नवम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा हरियाणा और पंजाब राज्य में नए एनएच-44 (पुराने एनएच-1) के पानीपत से जालंधर खंड के चार लेन या उससे अधिक की परियोजना के लिए उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(इक्यावन) का.आ.4823(अ) जो दिनांक 6 नवम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा कर्नाटक राज्य में एनएच-648 के डोडाबल्लापुर बाईपास से होसकोटे तक चार या उससे अधिक लेन की परियोजना के लिए उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(बावन) का.आ.4919(अ) जो दिनांक 14 नवम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा ईपीसी पर महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एनएच 548घ के न्हावरा से अधलगांव खंड की परियोजना के लिए उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(तिरपन) का.आ.4920(अ) जो दिनांक 14 नवम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 150 के चित्तपुर-यादगीर बाईपास खंड की परियोजना के लिए उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(3) (एक) भारतीय राजमार्ग अभियंता अकादमी, नोएडा के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय राजमार्ग अभियंता अकादमी, नोएडा के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) (एक) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी, अमेठी के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी, अमेठी के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 53 के अंतर्गत विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (सचिव) भर्ती नियम, 2022, जो दिनांक 26 मई,

2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.396(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 9 की उप-धारा (3) के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों और संग्रहण का निर्धारण) संशोधन नियम, 2023 जो दिनांक 6 अक्तूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.725(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

… (व्यवधान)

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण पाल): सभापति महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 182 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) संघ राज्यक्षेत्र जम्मू-कश्मीर और संघ राज्यक्षेत्र लद्दाख के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (लोड पूर्वानुमान, संसाधन योजना और बिजली खरीद प्रक्रिया के लिए दिशानिर्देश) विनियम, 2023 जो दिनांक 9 नवंबर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जेईआरसी-जेकेएल/आरईजी/2023/12 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) संघ राज्यक्षेत्र जम्मू और कश्मीर और संघ राज्यक्षेत्र लद्दाख के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (बहुवर्षीय उत्पादन पारेषण वितरण टैरिफ के निर्धारण के लिए निबंधन और शर्तें) विनियम, 2023 जो दिनांक 10 नवंबर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जेईआरसी-जेकेएल/आरईजी/2023/13 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) गोवा राज्य और संघ राज्यक्षेत्रों के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से टैरिफ निर्धारण के लिए निबंधन और शर्तें) विनियम, 2019 जो दिनांक 25 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ़.सं.जेईआरसी-25/2019 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (परामर्शदाताओं की नियुक्ति) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2023 जो दिनांक 3 अगस्त, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जेईआरसी-8/2009 में प्रकाशित हुए थे।

(पाँच) गोवा राज्य और संघ राज्यक्षेत्रों के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (उत्पादन, पारेषण और वितरण बहुवर्षीय टैरिफ) (पहला संशोधन) विनियम, 2023 जो दिनांक

22 अगस्त, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. जेईआरसी-28/2021 में प्रकाशित हुए थे।

(2) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 179 के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) विद्युत (तीसरा संशोधन) नियम, 2023 जो दिनांक 1 सितम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 649(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर्राज्यीय पारेषण प्रभारों और हानियों का साझाकरण (तीसरा संशोधन) विनियम, 2023 जो दिनांक 27 अक्तूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एल-1/250/2019/सीईआरसी1 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर्राज्यीय पारेषण प्रभारों और हानियों का साझाकरण (दूसरा संशोधन) विनियम, 2023 जो दिनांक 27 अक्तूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एल-1/250/2019/सीईआरसी में प्रकाशित हुए थे।

(3) (एक) राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, फरीदाबाद के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे

(दो) राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, फरीदाबाद के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(4) (एक) संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (गोवा राज्य और संघ राज्यक्षेत्रों के लिए), गुरुग्राम के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (गोवा राज्य और संघ राज्यक्षेत्रों के लिए), गुरुग्राम के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) (एक) विनियामक मंच, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) विनियामक मंच, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) (एक) जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र तथा लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग, जम्मू के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र तथा लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग, जम्मू के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) (एक) दामोदर घाटी निगम, कोलकाता के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) दामोदर घाटी निगम, कोलकाता के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) विद्युत प्रणाली विकास निधि, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(10) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1 (ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) एसजेवीएन लिमिटेड, शिमला के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एसजेवीएन लिमिटेड, शिमला का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

… (<u>व्यवधान</u>)

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी): सभापति महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) माल और सेवा कर नेटवर्क, नई दिल्ली का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 की धारा 7 की उप-धारा (1) के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-2024 की पहली छमाही की समाप्ति पर बजट के संबंध में प्राप्ति और व्यय प्रवृत्तियों की छमाही समीक्षा संबंधी विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अंतर्गत आयकर (27वां संशोधन) नियम, 2023 जो दिनांक 31 अक्तूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.813(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 के खंड (10घ) अंतर्गत दिनांक 16 अगस्त, 2023 के परिपत्र सं. 2023 का 15 जिसके द्वारा दिशा-निर्देशों को अधिसूचित किया गया था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उप-धारा (7) के अंतर्गत अधिसूचना सं. सा.का.नि. 888(अ) जो दिनांक 11 दिसम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसका आशय डीजीटीआर द्वारा जारी अंतिम निष्कर्षों के अनुसरण में थाईलैंड और ईरान से आयातित "सिंथेटिक ग्रेड जिओलाइट 4 ए" पर 5 वर्ष की अवधि के लिए प्रतिपाटन शुल्क लगाना है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(6) सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत अधिसूचना सं. सा.का.नि. 884(अ) जो दिनांक 7 दिसम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसका आशय दिनांक 8.12.2023 से दिनांक 31.3.2024 तक पीली मटर के आयातों पर लागू 50 प्रतिशत आयात शुल्क में छूट प्रदान करना है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(7) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 31 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(एक) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निपटान कार्यवाही) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2023 जो 9 अगस्त, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2023/142 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (भू संपदा निवेश ट्रस्ट) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2023 जो 17 अगस्त, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2023/144 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अवसंरचना निवेश ट्रस्ट) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2023 जो 17 अगस्त, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2023/145 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (लिस्टिंग बाध्यताएं और प्रकटीकरण अध्यपेक्षाएं) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2023 जो 23 अगस्त, 2023 के भारत के

राजपत्र में अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2023/149 में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (लिस्टिंग बाध्यताएं और प्रकटीकरण अध्यपेक्षाएं) (चौथा संशोधन) विनियम, 2023 जो 20 सितम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2023/151 में प्रकाशित हुए थे।

(छह) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (लिस्टिंग बाध्यताएं और प्रकटीकरण अध्यपेक्षाएं) (पांचवां संशोधन) विनियम, 2023 जो 9 अक्तूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2023/155 में प्रकाशित हुए थे।

(सात) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निवेशक संरक्षण और शिक्षा निधि) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2023 जो 20 अक्तूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2023/157 में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (लिस्टिंग बाध्यताएं और प्रकटीकरण अध्यपेक्षाएं) (छठा संशोधन) विनियम, 2023 जो 20 अक्तूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2023/158 में प्रकाशित हुए थे।

(नौ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अवसंरचना निवेश ट्रस्ट) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2023 जो 20 अक्तूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2023/159 में प्रकाशित हुए थे।

(दस) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (भू संपदा निवेश ट्रस्ट) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2023 जो 20 अक्तूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2023/160 में प्रकाशित हुए थे।

(8) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 11 के अंतर्गत अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2023/141 जो दिनांक 26 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा यह अधिसूचित किया गया है कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (म्यूचुअल फंड) (संशोधन) विनियम, 2023 का उप-विनियम 3 राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन से लागू होगा और 1 जनवरी, 2024 को उस तारीख के रूप में नियत किया गया है जिससे उसमें उल्लिखित उक्त विनियमों के उपबंध लागू होंगे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(9) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 की धारा 48 के अंतर्गत विदेशी मुद्रा प्रबंध (ऋण लिखत) (दूसरा संशोधन) विनियम 2023 जो दिनांक 20 अक्तूबर 2023 तो भारत के राजपत्र में

अधिसूचना संख्या फेमा.396(2)/2023/आरबी में प्रकाशित हुए थे, एक प्रति की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

… (व्यवधान)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP, MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY, AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF JAL SHAKTI (SHRI RAJEEV CHANDRASEKHAR): Sir, I beg to lay on the Table:-

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute for Entrepreneurship and Small Business Development, Noida, for the year 2022-2023, alongwith audited accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Institute for Entrepreneurship and Small Business Development, Noida, for the year 2022-2023.

(2) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Council for Vocational Education and Training, New Delhi, for the year 2022-2023, alongwith audited accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Council for Vocational Education and Training, New Delhi, for the year 2022-2023.

(3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Entrepreneurship, Guwahati, for the year 2022-2023, alongwith audited accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Institute of Entrepreneurship, Guwahati, for the year 2022-2023.

(4) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Instructional Media Institute, Chennai, for the year 2022-2023, alongwith audited accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Instructional Media Institute, Chennai, for the year 2022-2023.

… (*Interruptions*)

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा): सभापति महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगीकरण संस्थान, वर्धा के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगीकरण संस्थान, वर्धा के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगीकरण संस्थान, वर्धा के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगीकरण संस्थान, वर्धा के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) (एक) कॅयर बोर्ड, कोच्चि के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) कॅयर बोर्ड, कोच्चि के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) कॅयर बोर्ड, कोच्चि के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर, रोहतक के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर, रोहतक के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

… (<u>व्यवधान</u>)

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LAW AND JUSTICE, MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CULTURE (SHRI ARJUN RAM MEGHWAL): Sir, I, on behalf of Shri Rameswar Teli, beg to lay on the Table a copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Employees' Provident Fund Organisation, New Delhi, for the year 2022-2023.

… (*Interruptions*)

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती अन्नपुर्णा देवी): सभापति महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:-

(1) (एक) राष्ट्रीय बाल भवन, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय बाल भवन, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) (एक) समग्र शिक्षा राजस्थान, जयपुर के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) समग्र शिक्षा राजस्थान, जयपुर के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) (एक) समग्र शिक्षा, पुदुचेरी के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) समग्र शिक्षा, पुदुचेरी के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) समग्र शिक्षा कर्नाटक, बेंगलुरु के वर्ष 2020-2021 और 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) समग्र शिक्षा कर्नाटक, बेंगलुरु के वर्ष 2020-2021 और 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) (एक) समग्र शिक्षा कर्नाटक, बेंगलुरु के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) समग्र शिक्षा कर्नाटक, बेंगलुरु के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

… (व्यवधान)

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कौशल किशोर): सभापति महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) कोच्चि मेट्रो रेल लिमिटेड, कोच्चि के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) कोच्चि मेट्रो रेल लिमिटेड, कोच्चि का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग) (एक) उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, लखनऊ के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, लखनऊ का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(घ) (एक) पटना मेट्रो रेल लिमिटेड, पटना के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) पटना मेट्रो रेल लिमिटेड, पटना का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ङ) (एक) मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(च) (एक) एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(छ) (एक) हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ज) (एक) एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) की मद संख्या (घ) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

… (<u>व्यवधान</u>)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF TOURISM (ADV. AJAY BHATT): Sir, I beg to lay on the Table a copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section 1(b) of Section 394 of the Companies Act, 2013:-

(1) Review by the Government of the working of the Advanced Weapons and Equipment India Limited, Kanpur, for the year 2022-2023.

(2) Annual Report of the Advanced Weapons and Equipment India Limited, Kanpur, for the year 2022-2023, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

… (*Interruptions*)

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी. एल. वर्मा): सभापति महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) उत्तर-पूर्वी हस्तशिल्प और हथकरघा विकास निगम लिमिटेड तथा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के बीच वर्ष 2023-2024 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) उत्तर-पूर्वी हस्तशिल्प और हथकरघा विकास निगम लिमिटेड, शिलांग के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) उत्तर-पूर्वी हस्तशिल्प और हथकरघा विकास निगम लिमिटेड, शिलांग का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

… (<u>व्यवधान</u>)

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भगवंत खुबा): सभापति महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड, एरणाकुलम के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड, एरणाकुलम का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(3) राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, गुवाहाटी के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(4) राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, रायबरेली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(5) राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद, तेलंगाना के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(6) राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, कोलकाता के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(7) राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, हाजीपुर के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(8) राष्ट्रीय औषध-शिक्षा और अनुसंधान संस्थान अधिनियम, 1998 की धारा 36 की उप-धारा (2) के अंतर्गत राष्ट्रीय औषध-शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (संशोधन) परिनियम, 2023 जो दिनांक 26 सितम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 692(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

… (<u>व्यवधान</u>)

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सुभाष सरकार): सभापति महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) **(**एक**)** भारतीय प्रबंध संस्थान**,** अमृतसर के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति **(**हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण**)** तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो**)** भारतीय प्रबंध संस्थान**,** रोहतक के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति **(**हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण**)**।

(2) **(**एक**)** भारतीय प्रबंध संस्थान**,** कलकत्ता के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति **(**हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण**)** तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो**)** भारतीय प्रबंध संस्थान**,** कलकत्ता के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति **(**हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण**)**।

(3) **(**एक**)** भारतीय प्रबंध संस्थान**,** उदयपुर के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति **(**हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण**)** तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो**)** भारतीय प्रबंध संस्थान**,** उदयपुर के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति **(**हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण**)**।

(4) **(**एक**)** भारतीय प्रबंध संस्थान**,** विशाखापत्तनम के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति **(**हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण**)** तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय प्रबंध संस्थान, विशाखापत्तनम के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) (एक) भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, पुणे के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, पुणे के वर्ष 2022-2023 के के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, पुणे के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) (एक) व्यावहारिक प्रशिक्षण बोर्ड, पूर्वी क्षेत्र कोलकाता के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) व्यावहारिक प्रशिक्षण बोर्ड, पूर्वी क्षेत्र कोलकाता के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) (एक) प्रशिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड (उत्तरी क्षेत्र), कानपुर के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) प्रशिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड (उत्तरी क्षेत्र), कानपुर के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) (एक) प्रशिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड (दक्षिणी क्षेत्र), चेन्नई के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) प्रशिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड (दक्षिणी क्षेत्र), चेन्नई के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) (एक) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान रायचूर, रायचूर के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान रायचूर, रायचूर के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन**)** भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान रायचूर, रायचूर के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति **(**हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण**)**।

(11) **(**एक**)** भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरुचिरापल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति **(**हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण**)** तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो**)** भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरुचिरापल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति **(**हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण**)**।

(12) **(**एक**)** विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति **(**हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण**)** ।

(दो**)** विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति **(**हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण**)** तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन**)** विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति **(**हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण**)**।

(13) **(**एक**)** भारतीय अभियांत्रिकी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, शिवपुर के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति **(**हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण**)** तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो**)** भारतीय अभियांत्रिकी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, शिवपुर के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक-एक प्रति **(**हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण**)**।

(14) **(**एक**)** राष्ट्रीय तकनीकी अध्यापक प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेन्नई के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति **(**हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण**)** तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो**)** राष्ट्रीय तकनीकी अध्यापक प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेन्नई के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति **(**हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण**)**।

(15) **(**एक**)** राष्ट्रीय तकनीकी अध्यापक प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति **(**हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण**)** तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय तकनीकी अध्यापक प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) (एक) राष्ट्रीय तकनीकी अध्यापक प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, भोपाल के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय तकनीकी अध्यापक प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, भोपाल के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) (एक) राष्ट्रीय तकनीकी अध्यापक प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, कोलकाता के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय तकनीकी अध्यापक प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, कोलकाता के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) (एक) गनी खान चौधरी इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान, मालदा के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) गनी खान चौधरी इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान, मालदा के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(19) (एक) भारतीय प्रबंध संस्थान, बैंगलोर के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय प्रबंध संस्थान, बैंगलोर के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मुंबई के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मुंबई के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मुंबई के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(21) (एक) केन्द्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कोकराझार के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केन्द्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कोकराझार के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22) (एक) प्रशिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड, पश्चिमी क्षेत्र, मुंबई के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) प्रशिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड, पश्चिमी क्षेत्र, मुंबई के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(23) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कर्नाटक, सूरतकल, मैंगलोर के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कर्नाटक, सूरतकल, मैंगलोर के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(24) (एक) कश्मीर केन्द्रीय विश्वविद्यालय, कश्मीर के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) कश्मीर केन्द्रीय विश्वविद्यालय, कश्मीर के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) कश्मीर केन्द्रीय विश्वविद्यालय, कश्मीर के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(25) (एक) जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(26) (एक) कर्नाटक केन्द्रीय विश्वविद्यालय, कलबुर्गी के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) कर्नाटक केन्द्रीय विश्वविद्यालय, कलबुर्गी के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) कर्नाटक केन्द्रीय विश्वविद्यालय, कलबुर्गी के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(27) (एक) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(28) (एक) राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(29) (एक) ऑरोविल फाउंडेशन, ऑरोविल के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ऑरोविल फाउंडेशन, ऑरोविल के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(30) उपर्युक्त (29) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(31) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पालक्काड के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पालक्काड के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पालक्कड़ के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(32) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर, जोधपुर के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर, जोधपुर के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर, जोधपुर के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(33) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी, गुवाहाटी के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी, गुवाहाटी के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी, गुवाहाटी के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(34) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे, मुंबई के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे, मुंबई के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे, मुंबई के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(35) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़, रोपड़ के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़, रोपड़ के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़, रोपड़ के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(36) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, धनबाद के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, धनबाद के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(37) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गांधीनगर के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गांधीनगर के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गांधीनगर के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(38) भारतीय प्रबंध संस्थान अधिनियम, 2017 की धारा 37 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) भारतीय प्रबंध संस्थान (संशोधन) नियम, 2022, जो दिनांक 20 अप्रैल, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.302(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय प्रबंध संस्थान (संशोधन) नियम, 2023, जो दिनांक 11 नवम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.834(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(39) उपर्युक्त (38) की मद सं. (एक) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(40) वास्तुविद् अधिनियम, 1972 की धारा 44 की उप-धारा (3) के अंतर्गत वास्तुकला परिषद (संशोधन) नियम, 2023 जो 25 अगस्त, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 623(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

… (व्यवधान)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (DR. BHAGWAT KARAD): Sir, I beg to lay on the Table:-

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Insurance Regulatory and Development Authority of India, Hyderabad, for the year 2022-2023.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Insurance Regulatory and Development Authority of India, Hyderabad, for the year 2022-2023.

(2) A copy of the Punjab National Bank (Officer Employees' (Acceptance of Jobs in Private Sector Concerns after Retirement) Regulations, 2000 (Hindi and English versions) published in Notification No. PNB/DAC/P-7/2000 in Gazette of India dated 16th September, 2000 under Section 19 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970.

(3) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (2) above.

(4) A copy of the State Bank of India Employees' Provident Fund Regulations, 2015 published in Notification No. CDO/OM/SM/16/SPL/1042 in Gazette of India dated 20th August, 2015 under sub-section (2) of Section 50 of the State Bank of India Act, 1955.

(5) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (4) above.

(6) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (3) of Section 48 of the Life Insurance Corporation Act, 1956:-

(i) The Life Insurance Corporation of India (shareholders' director) Regulations, 2023 published in Notification No. F.No.

S-14014/14/2022-Ins.I(E) in Gazette of India dated 30th November, 2023.

(ii) The Life Insurance Corporation of India (Daily Allowance and Hotel Charges to Employees on Tour) Amendment Rules, 2023 published in Notification No. G.S.R.608(E) in Gazette of India dated 17th August, 2023.

(iii) The Life Insurance Corporation of India Class III and Class IV Employees (Revision of Terms and Conditions of Service) Amendment Rules, 2023 published in Notification No. G.S.R.609(E) in Gazette of India dated 17th August, 2023.

(iv) The Life Insurance Corporation of India, Class I Officers (Revision of Terms and Conditions of Service) Amendment Rules, 2023 published in Notification No. G.S.R.610(E) in Gazette of India dated 17th August, 2023.

(v) The Life Insurance Corporation of India (Staff) Amendment Rules, 2023 published in Notification No. G.S.R.611(E) in Gazette of India dated 17th August, 2023.

(vi) The Life Insurance Corporation of India (Employees') Pension (Second Amendment) Rules, 2023 published in Notification No. G.S.R.662(E) in Gazette of India dated 11th September, 2023.

(vii) The Insurance Ombudsman (Amendment) Rules, 2023 published in Notification No. G.S.R.828(E) in Gazette of India dated 9th November, 2023.

(7) A copy Annual Report (Hindi and English versions) of the Tripura Gramin Bank, Agartala, for the year 2022-2023, alongwith audited accounts.

(8) A copy of the Consolidated Review* (Hindi and English versions) of the working of Regional Rural Banks for the year 2022-2023.

… (*Interruptions*)

* Annual Reports and Audited Accounts were laid on 11.12.2023

(1205/RP/SJN)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EDUCATION (DR. R.K. RANJAN SINGH): Sir, I beg to lay on the Table:-

(1) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Research and Information System for Developing Countries, New Delhi, for the year 2022-2023, alongwith Audited Accounts.

(2) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Research and Information System for Developing Countries, New Delhi, for the year 2022-2023.

… (*Interruptions*)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS (DR. BHARATI PRAVIN PAWAR): Sir, I beg to lay on the Table:-

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Population Research Centre, Institute for Social and Economic Change, Bengaluru, for the year 2022-2023, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Population Research Centre, Institute for Social and Economic Change, Bengaluru, for the year 2022-2023.

(2) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Population Research Centre, Utkal University, Bhubaneswar, for the year 2022-2023, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Population Research Centre, Utkal University, Bhubaneswar, for the year 2022-2023.

(3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Population Research Centre, Centre for Research in Rural and Industrial Development, Chandigarh, for the year 2022-2023, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Population Research Centre, Centre for Research in Rural and Industrial Development, Chandigarh, for the year 2022-2023.

(4) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Population Research Centre, Maharaja Sayajirao University of Baroda, Vadodara, for the year 2022-2023, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Population Research Centre, Maharaja Sayajirao University of Baroda, Vadodara, for the year 2022-2023.

(5) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Population Research Centre, Institute for Economic Growth, Delhi, for the year 2022-2023, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Population Research Centre, Institute for Economic Growth, Delhi, for the year 2022-2023.

(6) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Population Research Centre, JSS Institute of Economic Research, Dharwad, for the year 2022-2023, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Population Research Centre, JSS Institute of Economic Research, Dharwad, for the year 2022-2023.

(7) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Population Research Centre, Gandhigram Institute of Rural Health and Family Welfare Trust, Dindigul, for the year 2022-2023, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Population Research

Centre, Gandhigram Institute of Rural Health and Family Welfare Trust, Dindigul, for the year 2022-2023.

(8) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Population Research Centre, Gauhati University, Guwahati, for the year 2022-2023, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Population Research Centre, Gauhati University, Guwahati, for the year 2022-2023.

(9) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Population Research Centre, University of Lucknow, Lucknow, for the year 2022-2023, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Population Research Centre, University of Lucknow, Lucknow, for the year 2022-2023.

(10) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Population Research Centre, Panjab University, Chandigarh, for the year 2022-2023, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Population Research Centre, Panjab University, Chandigarh, for the year 2022-2023.

(11) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Population Research Centre, Patna University, Patna, for the year 2022-2023, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Population Research Centre, Patna University, Patna, for the year 2022-2023.

(12) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Population Research Centre, Gokhale Institute of Politics

and Economics, Pune, for the year 2022-2023, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Population Research Centre, Gokhale Institute of Politics and Economics, Pune, for the year 2022-2023.

(13) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Population Research Centre, Dr. Harisingh Gour Vishwavidyalaya, Sagar, for the year 2022-2023, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Population Research Centre, Dr. Harisingh Gour Vishwavidyalaya, Sagar, for the year 2022-2023.

(14) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Population Research Centre, Himachal Pradesh University, Shimla, for the year 2022-2023, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Population Research Centre, Himachal Pradesh University, Shimla, for the year 2022-2023.

(15) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Population Research Centre, University of Kashmir, Srinagar, for the year 2022-2023, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Population Research Centre, University of Kashmir, Srinagar, for the year 2022-2023.

(16) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Population Research Centre, University of Kerala, Thiruvananthapuram, for the year 2022-2023, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Population Research Centre, University of Kerala, Thiruvananthapuram, for the year 2022-2023.

(17) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Population Research Centre, Mohanlal Sukhadia University, Udaipur, for the year 2022-2023, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Population Research Centre, Mohanlal Sukhadia University, Udaipur, for the year 2022-2023.

(18) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Population Research Centre, Andhra University, Visakhaptanam, for the year 2022-2023, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Population Research Centre, Andhra University, Visakhaptanam, for the year 2022-2023.

(19) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Regional Institute of Medical Sciences, Imphal, for the year 2021-2022, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Regional Institute of Medical Sciences, Imphal, for the year 2021-2022.

(20) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (19) above.

(21) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Regional Institute of Paramedical and Nursing Sciences, Aizawl, for the year 2021-2022, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Regional Institute of

Paramedical and Nursing Sciences, Aizawl, for the year 2021-2022.

(22) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (21) above.

(23) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Health Systems Resource Centre, New Delhi, for the year 2022-2023.

(ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the National Health Systems Resource Centre, New Delhi, for the year 2022-2023, together with Audit Report thereon.

(iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Health Systems Resource Centre, New Delhi, for the year 2022-2023.

(24) (i) A copy of the Annual Reports (Hindi and English versions) of the All India Institute of Medical Sciences, Bibinagar, for the year 2022-2023, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the All India Institute of Medical Sciences, Bibinagar, for the year 2022-2023.

(25) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section 1(b) of Section 394 of the Companies Act, 2013:-

(i) Review by the Government of the working of the National Scheduled Tribes Finance and Development Corporation, New Delhi, for the year 2022-2023.

(ii) Annual Report of the National Scheduled Tribes Finance and Development Corporation, New Delhi, for the year 2022-2023, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

… (*Interruptions*)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF JAL SHAKTI (ER. BISHWESWAR TUDU): Sir, I beg to lay on the Table:-

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Mission for Clean Ganga, New Delhi, for the year 2022-2023.

(ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the National Mission for Clean Ganga, New Delhi, for the year 2022-2023, together with Audit Report thereon.

(iii) A copy of Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Mission for Clean Ganga, New Delhi, for the year 2022-2023.

(2) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Polavaram Project Authority, Hyderabad, for the year 2022-2023.

(ii) A copy of Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Polavaram Project Authority, Hyderabad, for the year 2022-2023.

(3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Brahmaputra Board, Guwahati, for the year 2022-2023, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Brahmaputra Board, Guwahati, for the year 2022-2023.

(4) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Dam Safety Authority, New Delhi, for the year 2022-2023, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Dam Safety Authority, New Delhi, for the year 2022-2023.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AYUSH (DR. (PROF.) MAHENDRA MUNJAPARA): Sir, I beg **to** lay on the Table: -

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Sowa Rigpa, Leh, for the year 2022-2023, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Institute of Sowa Rigpa, Leh, for the year 2022-2023.

(2) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 56 of the National Commission for Indian System of Medicine Act, 2020:-

(i) The National Commission for Indian System of Medicine (Recognition of Qualifications) Regulations, 2023 published in Notification No. F.No. Sec/NCISM/Reg(1)/2023 in Gazette of India dated 28th November, 2023.

(ii) The National Commission for Indian System of Medicine (Medical Research in Indian System of Medicine) Regulation, 2023 published in Notification No. F.No. Sec/NCISM/Regulation/2023-1 in Gazette of India dated 28th November, 2023.

MESSAGES FROM RAJYA SABHA

1208 hours

SECRETARY GENERAL: Sir, I have to report the following messages received from the Secretary General of Rajya Sabha:-

(i) "In accordance with the provisions of rule 127 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to inform the Lok Sabha that the Rajya Sabha at its sitting held on the 13th December, 2023 agreed without any amendment to the Repealing and Amending Bill, 2023, which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 27th July, 2023."

(ii) "In accordance with the provisions of rule 127 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to inform the Lok Sabha that the Rajya Sabha at its sitting held on the 13th December, 2023 agreed without any amendment to the Central Universities (Amendment) Bill, 2023 which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 7th December, 2023."

लोक लेखा समिति
76वां से 82वां प्रतिवेदन

डॉ. सत्यपाल सिंह (बागपत) : महोदय, मैं लोक लेखा समिति (2023-24) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:-

(1) 'नए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों की निष्पादन लेखापरीक्षा' संबंधी 76वां प्रतिवेदन।

(2) 'राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र आयोजना बोर्ड का कार्यकरण' संबंधी 77वां प्रतिवेदन।

(3) 'कृषि फसल बीमा योजनाओं की निष्पादन लेखापरीक्षा' संबंधी 78वां प्रतिवेदन।

(4) 'औषध उत्पादों के आयात पर आईजीएसटी की अनुचित छूट' संबंधी 79वां प्रतिवेदन।

(5) 'अनियमित कर छूट के कारण राजस्व की हानि – दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय' संबंधी 80वां प्रतिवेदन।

(6) 'एक्स-इंजनों की खरीद' संबंधी 81वां प्रतिवेदन।

(7) 'उच्च ऊँचाई क्षेत्र वाले कपड़े, उपकरण, राशन एवं आवास का प्रावधान, अधिप्राप्ति और वितरण' संबंधी 55वां प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों के बारे में सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी 82वां प्रतिवेदन।

… (<u>व्यवधान</u>)

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति
12वां प्रतिवेदन

श्री रामशिरोमणि वर्मा (श्रावस्ती) : महोदय मैं सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति का 12वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

… (<u>व्यवधान</u>)

COMMITTEE ON THE WELFARE OF SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES
29th Report

DR. (PROF.) KIRIT PREMJIBHAI SOLANKI (AHMEDABAD WEST): Sir, I beg to present the Twenty-ninth Report (Hindi and English versions) of the Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes (2023-2024) on Action taken by the Government on the recommendations contained in the Twenty-third Report (17thLok Sabha) of the Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes on the Subject- 'Review of Functioning of National Scheduled Castes Finance and Development Corporation (NSFDC)'.

… (*Interruptions*)

अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति
26वां और 27वां प्रतिवेदन

श्री राजेश वर्मा (सीतापुर) : महोदय, मैं अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:-

(1) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से संबंधित 'अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में रोजगार में अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने तथा उनके कल्याण के लिए किए गए उपाय' विषय के बारे में समिति (2023-24) का 26वां प्रतिवेदन।

(2) इस्पात मंत्रालय से संबंधित 'स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (एसएआईएल) और राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल) में रोजगार में अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने तथा उनके कल्याण के लिए किए गए उपाय' विषय के बारे में समिति (2023-24) का 27वां प्रतिवेदन।

… (<u>व्यवधान</u>)

अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति
विवरण

श्री राजेश वर्मा (सीतापुर) : महोदय, मैं अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति के अंतिम की-गई-कार्रवाई संबंधी निम्नलिखित विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवाएं विभाग) से संबंधित 'केनरा बैंक में रोजगार में अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने और उनके कल्याण के लिए किए गए उपाय' के बारे में अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति के 15वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में समिति के 22वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा अंतिम की-गई कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण।

(2) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से संबंधित 'गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (गेल) में रोजगार में अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने और उनके कल्याण के लिए किए गए उपाय' के बारे में अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति के 16वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में समिति के 23वें प्रतिवेदन

(17वीं लोक सभा) के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा अंतिम की-गई कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण।

(3) संचार मंत्रालय (दूरसंचार विभाग) से संबंधित 'भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) में रोजगार में अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने और उनके कल्याण के लिए किए गए उपाय' के बारे में अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति के 18वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में समिति के 25वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा अंतिम की-गई कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण।

… (व्यवधान)

सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति

152वां से 159वां प्रतिवेदन

श्री गिरीश चन्द्र (नगीना) : महोदय, मैं सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति (2023-24) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:-

(1) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन राष्ट्रीय आरोग्य निधि, नई दिल्ली के वार्षिक प्रतिवेदनों तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में विलंब के बारे में 152वां प्रतिवेदन।

(2) कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीईटी) पूर्ववर्ती राष्ट्रीय कौशल विकास अभिकरण (एनएसडीए) और राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीटी), नई दिल्ली के वार्षिक प्रतिवेदनों तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में विलंब के बारे में 153वां प्रतिवेदन।

(3) पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अधीन सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, नई दिल्ली के वार्षिक प्रतिवेदनों तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में विलंब के बारे में 154वां प्रतिवेदन।

(4) पंजाब एग्रो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, चंडीगढ़ के वार्षिक प्रतिवेदनों तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में विलंब के बारे में समिति के 104वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में की-गई टिप्पणियों/सिफारिशों पर कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि और किसान कल्याण विभाग) द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 155वां प्रतिवेदन।

(5) राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, फरीदाबाद के वार्षिक प्रतिवेदनों तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में विलंब के बारे में समिति के 123वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में की-गई टिप्पणियों/सिफारिशों पर विद्युत मंत्रालय द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 156वां प्रतिवेदन।

(6) जम्मू एंड कश्मीर हॉर्टीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग एंड प्रोसेसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (जेकेएचपीएमसी), श्रीनगर के वार्षिक प्रतिवेदनों तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में विलंब के बारे में समिति के 99वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में की-गई टिप्पणियों/सिफारिशों पर कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि और किसान कल्याण विभाग) द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 157वां प्रतिवेदन।

(7) पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए), नई दिल्ली के वार्षिक प्रतिवेदनों तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में विलंब के बारे में समिति के 102वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में की-गई टिप्पणियों/सिफारिशों पर वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवाएं विभाग) द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 158वां प्रतिवेदन।

(8) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, वड़ोदरा के वार्षिक प्रतिवेदनों तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में विलंब के बारे में समिति के 108वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में की-गई टिप्पणियों/सिफारिशों पर शिक्षा मंत्रालय (उच्चतर शिक्षा विभाग) द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 159वां प्रतिवेदन ।

… (<u>व्यवधान</u>)

COMMITTEE ON SUBORDINATE LEGISLATION
32nd to 34th Reports

SHRI BALASHOWRY VALLABHANENI (MACHILIPATNAM): Sir, I beg to present the following Reports (Hindi and English versions) of the Committee on Subordinate Legislation:-

(1) Thirty-second Report on Infirmities in the 'Protective Textiles (Quality Control) Order, 2022 [S.O. 1707 (E)]' of the Ministry of Textiles.

(2) Thirty-third Report on Action Taken by the Government on the Observations/Recommendations contained in the Thirty-Seventh Report of the Committee (Sixteenth Lok Sabha) on 'The Acts/Rules /Regulations/Bye-Laws governing the admission process of Bachelor of

Ayurveda/Homeopathy and other courses for higher studies in Ayurveda/Homeopathy' of the Ministry of Ayush.

(3) Thirty-fourth Report on the Action Taken by the Government on the Observations/ Recommendations contained in the Twenty-fourth Report (Seventeenth Lok Sabha) on the status of framing of Subordinate Legislation *viz.* Rules/Regulations etc. under various Acts being administered by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, and Delay in laying of Rules.

… (*Interruptions*)

रेल संबंधी स्थायी समिति

17वां प्रतिवेदन

श्री राधा मोहन सिंह (पूर्वी चंपारण) : महोदय, मैं 'रेल भूमि विकास प्राधिकरण का कार्य-निष्पादन' विषय के बारे में रेल संबंधी स्थायी समिति के 16वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई पर रेल संबंधी स्थायी समिति (2023-24) का 17वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

… (व्यवधान)

(1210/SPS/NKL)

माननीय सभापति (श्री राजेन्द्र अग्रवाल) : आइटम नंबर 31, श्रीमती लॉकेट चटर्जी।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : आइटम नंबर 32 – श्री सुब्रत पाठक जी।

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति

विवरण

श्री सुब्रत पाठक (कन्नौज) : सभापति महोदय, मैं उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति (2023-2024) के निम्नलिखित की-गई-कार्रवाई प्रतिवेदनों के अध्याय एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाले अंतिम की-गई-कार्रवाई विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

(1) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग) से संबंधित अनुदानों की मांगों (2023-24) के बारे में 24वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 29वां प्रतिवेदन।

(2) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले विभाग) से संबंधित अनुदानों की मांगों (2023-24) के बारे में 25वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 30वां प्रतिवेदन।

… (व्यवधान)

ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी स्थायी समिति का 36वां प्रतिवेदन

श्रीमती गीताबेन वी. राठवा (छोटा उदयपुर) : सभापति महोदय, मैं ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास मंत्रालय) से संबंधित प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बारे में 32वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई पर ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी स्थायी समिति का 36वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करती हूं।

… (व्यवधान)

ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी स्थायी समिति विवरण

श्रीमती गीताबेन वी. राठवा (छोटा उदयपुर) : सभापति महोदय, मैं ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूं :-

(1) 'ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास मंत्रालय) की अनुदानों की मांगों (2023-24)' के बारे में 29वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 33वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।

(2) 'भूमि संसाधन विभाग (ग्रामीण विकास मंत्रालय) की अनुदानों की मांगों (2023-24)' के बारे में 30वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 34वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।

(3) 'पंचायती राज मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2023-24)' के बारे में 31वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी 35वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।

… (व्यवधान)

STATEMENT RE: STATUS OF IMPLEMENTATION OF RECOMMENDATIONS IN 41ST REPORT OF STANDING COMMITTEE ON LABOUR, TEXTILES AND SKILL DEVELOPMENT – LAID

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LAW AND JUSTICE, MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CULTURE (SHRI ARJUN RAM MEGHWAL): Hon. Chairperson Sir, with your permission, on behalf of my colleague, Shri Rameshwar Teli, I rise to lay a statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 41st Report of the Standing Committee on Labour, Textiles and Skill Development on Demands for Grants (2023-2024) pertaining to the Ministry of Labour and Employment. … (*Interruptions*)

STATEMENTS RE: STATUS OF IMPLEMENTATION OF RECOMMENDATIONS IN 313TH AND 343RD REPORTS OF STANDING COMMITTEE ON TRANSPORT, TOURISM AND CULTURE – LAID

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF TOURISM (ADV. AJAY BHATT): Hon. Chairperson Sir, with your permission, I rise to lay the following statements regarding:-

(1) the status of implementation of the recommendations contained in the 313th Report of the Standing Committee on Transport, Tourism and Culture on 'Promotion of Indian Tourism in Overseas Markets – Role of Overseas Tourist Offices and Indian Embassies' pertaining to the Ministry of Tourism.

(2) the status of implementation of the recommendations contained in the 343rd Report of the Standing Committee on Transport, Tourism and Culture on Demands for Grants (2023-2024) pertaining to the Ministry of Tourism. … (*Interruptions*)

माननीय सभापति : आइटम नंबर 31, श्री सुब्रत पाठक जी।

… (व्यवधान)

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति 36वां प्रतिवेदन

श्री सुब्रत पाठक (कन्नौज) : सभापति महोदय, मैं उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग) से संबंधित 'भारत में चीनी उद्योग - एक समीक्षा' विषय के बारे में उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति के 32वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में समिति (2023-2024) का 36वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं। … (व्यवधान)

TELECOMMUNICATIONS BILL

1214 hours

THE MINISTER OF RAILWAYS, MINISTER OF COMMUNICATIONS AND MINISTER OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY (SHRI ASHWINI VAISHNAW): Hon. Chairperson Sir, I rise to move for leave to introduce a Bill to amend and consolidate the law relating to development, expansion and operation of telecommunication services and telecommunication networks; assignment of spectrum; and for matters connected therewith or incidental thereto. … (*Interruptions*)

HON CHAIRPERSON: Motion moved:

> "That leave be granted to introduce a Bill to amend and consolidate the law relating to development, expansion and operation of telecommunication services and telecommunication networks; assignment of spectrum; and for matters connected therewith or incidental thereto."

माननीय सभापति : मंत्री जी, क्या आप कुछ कहना चाहते हैं?

श्री अश्वनी वैष्णव : सर, नहीं। … (व्यवधान)

श्री रितेश पाण्डेय (अम्बेडकर नगर) : सर, मैं संविधान की धारा 117 के तहत इस बिल का अपोज कर रहा हूं। उसके अंतर्गत यह मनी बिल में प्रपोज किया जा रहा है, जो इसे राज्य सभा की स्क्रूटनी से बाहर रखने का कार्य करेगा। मेरा अनुरोध यह है कि इसको समान रूप से लाया जाए।… (व्यवधान) पुट्टास्वामी जजमेंट के हिसाब से इस बिल के अंतर्गत प्राइवेसी के जो अधिकार थे, उनका हनन हो रहा है, क्योंकि जो एंड-टू-एंड डेटा एन्क्रिप्शन था, अब उसकी स्क्रूटनी आ गई है और फोन पर जो डेटा एन्क्रिप्शन होता है, वह लीक हो जाएगा, जो कि कहीं न कहीं बहुत गलत है। संवैधानिक रूप से इस बिल को किसी कमेटी के पास भेजने के बाद इसको पुर:स्थापित करना चाहिए। … (व्यवधान)

(1215/MM/MMN)

माननीय सभापति (श्री राजेन्द्र अग्रवाल): श्री मनीश तिवारी जी।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

"कि दूर संचार सेवाओं और दूर संचार नेटवर्क के विकास, विस्तार और प्रचालन; स्पेक्ट्रम के समनुदेशन से संबंधित विधि का संशोधन और समेकन करने तथा उससे संसक्त और उससे आनुषंगिक विषयों वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

SHRI ASHWINI VAISHNAW: Sir, I introduce the Bill. … (*Interruptions*)

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, वैल में आना और तख्तियां दिखाना मर्यादा का उल्लंघन है। माननीय अध्यक्ष महोदय ने बराबर आपसे अनुरोध किया है। यह सर्वसम्मति से तय किया था, सभी माननीय दल के नेताओं के साथ, कि तख्तियां लेकर हम नहीं आएंगे। तख्तियां दिखाकर के आप अपने विरुद्ध कार्रवाई को आमंत्रित कर रहे हैं। कृपया करके तख्तियां मत दिखाइए।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : आप लोग अपने-अपने स्थान पर जाइए।

… (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Please go back to your seats.

… (*Interruptions*)

माननीय सभापति : मेरा आपसे पुन: अनुरोध है कि तख्ती दिखाकर के आप चेयर को कार्रवाई के लिए विवश न करें। आप पर कार्रवाई हो सकती है।

… (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Please do not invite the Chair to take action against you.

… (*Interruptions*)

माननीय सभापति : सदन की कार्यवाही दो बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

1216 बजे

तत्पश्चात लोक सभा चौदह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

(1400/VR/YSH)

1400 बजे

लोक सभा चौदह बजे पुनः समवेत् हुई।

(श्री राजेन्द्र अग्रवाल पीठासीन हुए)

… (व्यवधान)

नियम 377 के अधीन मामले – सभा पटल पर रखे गए

1400 बजे

माननीय सभापति: जिन माननीय सदस्यों को आज नियम-377 के अधीन मामलों को उठाने की अनुमति प्रदान की गई है, वे अपने मामलों के अनुमोदित पाठ को 20 मिनट के अंदर व्यक्तिगत रूप से सभा-पटल पर रख दें।

1401 बजे

(इस समय श्री ए. राजा, श्री कल्याण बनर्जी और कुछ अन्य माननीय सदस्य आकर पटल के निकट खड़े हो गए।)

Re: Alleged issuance of SC certificate to non-eligible persons in Uttar Pradesh

श्री अक्षयवर लाल (बहराइच): मा० सामाजिक न्याय एवं अधिकरिता मंत्री जी की संज्ञान में है कि उत्तर प्रदेश राज्य में गैर अनुसूचित समुदायों जैसे गड़रिया, पाल पिछड़ी जाति को धनगर अ०जा० मानकर एवं हिन्दु जुलाहा, कोली, कबीरपंथी बुनकर के सदस्यों को कोरी अ०जा० मानकर अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र जारी किए जा रहे हैं जोकि पूर्णतया गलत है। सामाजिक न्याय एवं अधिकरिता मंत्रालय के पत्रांक 12018/1/2011-एस.सी.डी. (आर एस सेल) दिनाँक 25-03-2019 द्वारा इस संबंध में उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग को गरिया, पाल संबंधी आदेश संख्या 207-सी.एम./26-03-2018 दिनाँक 24-01-2019 एवं हिन्दु जुलाहा, कोली, कबीरपंथी बुनकर सम्बन्धी आदेश सं0-3045/26-03-2018 दिनाँक 06-11-2018 को निरस्त/रद्द करने हेतु मुख्य सचिव, समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार को लिखा गया था, किन्तु उक्त आदेश अभी तक निरस्त नहीं किए गए हैं। जिनका दुरुपयोग करके इन पिछड़ी जातियों द्वारा अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र एवं सुविधाएं निरन्तर ली जा रही हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अभी तक उक्त दोनों आदेशों निरस्त नहीं किए गए हैं। अतः मैं सदन के माध्यम से मा० मंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि उ०प्र० सरकार के उक्त दोनों आदेश दिनाँक 24-01-2019 एवं 06-11-2018 को निरस्त कराने एवं उसकी सूचना मुझे भी उपलब्ध कराने की कृपा करें।

(इति)

Re: Introduction of a train to link Anegundi and Ayodhya

SHRI KARADI SANGANNA AMARAPPA (KOPPAL): I would like to submit that Anjanadri hills (part of Kishkindha) at Anegundi is considered as the birth place of Lord Hanuman in Gangavati Koppal District. It attracts scores of devotees from across India, akin to Ayodhya (birth place of Lord Shri Ram). This place is surrounded by the hilly regions and spectacular, picturesque natural beauty, has many historical places, such as "Pampa Sarover, Shabri Betta, Durga Betta, Bali Dibba, Gagan Mahal, Naya Vrindavana, Shri Ranganah Temple" and 64 pillared Shri Krishnadevaraya Mantapa and many more, which also have mythological importance. There are many historical places near Anegundi, such as Shri Kanagakachlapati Temple, Hemagudda Fort and monolithic structures at Chikaabenekal, which also attract tourists almost throughout the year and could participate in generation of handsome revenue. This train could integrate North India to South India. A new train can create a history for the birth places of two intrinsic persons Shri Ram and Shri Hanuman. In addition, it would also be a great thing if the Hon'ble Minister could name this train as "RAMANJANEYA EXPRESS", to feel the worship of God. Thank you Speaker Sir.

(ends)

Re: Construction of railway line connecting Nagpur-Seoni-Jabalpur

डॉ. ढालसिंह बिसेन (बालाघाट): महोदय, सिवनी जिले की जनता की पिछले 40 सालों से नागपुर से सिवनी होकर जबलपुर को जोड़ने वाले रेलमार्ग के निर्माण की मांग की जा रही है। पूर्व प्रधानमंत्री स्व. श्री नरसिम्हा राव जी जब रामटेक से सांसद थे, उस दौरान 1992 में उनके द्वारा नागपुर के रामटेक से श्रीधाम (गोटेगांव) रेलमार्ग के निर्माण की घोषणा की गई थी। किंतु इस पर कोई गति नहीं हुई। यह रेल लाईन उत्तर दक्षिण को जोड़ने वाला सीधा रेलमार्ग होगा। जिससे महाराष्ट्र, नागपुर और मध्यप्रदेश की संस्कारधानी जबलपुर सीधे जुड़ जाऐंगे और इससे मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र की 5 लोकसभा एवं 8 विधानसभा की जनता लाभान्वित होगी। इस 170 कि. मी. रेल लाईन के निर्माण से दिल्ली, बनारस, अयोध्या एवं पटना से दक्षिण की ओर जाने वाली ट्रेनों के मार्ग की करीब 200 किलोमीटर तक दूरी कम हो जाएगी। दूरी कम होने से सवारी गाड़ी/मालवाहक ट्रेनों के लिए सीधा और वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध हो जायेगा। इसका सीधा लाभ रेल विभाग को होगा। वर्तमान में इटारटी जंक्शन पर पड़ने वाले लोड को भी कम किया जा सकेगा। आपसे आग्रह है कि नागपुर सिवनी जबलपुर जोड़ने वाले रामटेक सिवनी गोटेगांव या अन्य वैकल्पिक रेलमार्ग रामटेक सिवनी शिकारा बहुप्रतितिक्षित एवं महत्वाकांक्षी रेल लाईन के निर्माण की स्वीकृति करने का कष्ट करेंगे।

(इति)

Re: Rebuilding of dilapidated post office building in Udgir Taluka, Latur district, Maharashtra

श्री सुधाकर तुकाराम श्रंगरे (लातूर): महोदय मेरे लातूर जिले के उदगीर तालुके की पोस्ट की इमारत बहुत पुरानी है तथा पूरी तरह जर्जर अवस्था में है। समय समय पर इसके हिस्से टूट टूट कर गिरते रहते हैं जिससे किसी भी समय कोई भी अवांछित घटना घट सकती है जिसमें पोस्ट आफिस कर्मचारियों अथवा पोस्ट आफिस आने वाले आम नागरिकों की जान का नुकसान भी हो सकता है। 1976 में बनी इस इमारत को पुनर्निमाण किए जाने हेतु स्थानीय डाकघर के अधिकारी संभाजीनगर क्षेत्रीय पोस्ट आफिस कार्यालय से कई सालों से आवश्यक कदम उठाने के लिए कह रहे हैं परन्तु कोई नतीजा नहीं निकला है। 2016 में मेरे पूर्ववर्ती सांसद ने भी इस विषय में काफी पत्र व्यवहार किया था परन्तु कोई नतीजा नहीं निकला। उदगीर पोस्ट आफिस काम्पलेक्स में 29895 वर्ग फीट जमीन खाली है तथा यहां पोस्ट आफिस की इमारत का निर्माण आराम से किया जा सकता है।

इस सम्माननीय सदन के माध्यम से मेरा सरकार से अनुरोध है कि उदगीर तालुके के पोस्ट आफिस के इमारत के पुनर्निमाण हेतु तत्काल कदम उठाए जाएं तथा आगामी बजट में इस हेतु आवश्यक बजटीय प्रावधान करके वर्ष 2024 में इस पोस्ट आफिस के नये भवन का निर्माण सुनिश्चित किया जाए। साथ ही यह भी अनुरोध है कि जब तक नये भवन का निर्माण नहीं हो जाता तब तक इस पोस्ट आफिस को किसी अन्य भवन में स्थानान्तरित कर दिया जाए ताकि भविष्य में आम नागरिकों अथवा पोस्ट आफिस के किसी कर्मचारी को किसी तरह की जान-माल की हानि से कोई नुकसान पहुंचने की संभावना को रोका जा सके। (इति)

Re: Construction of by-pass roads on NH 35 in Banda and Chitrakoot districts in Uttar Pradesh

श्री आर. के. सिंह पटेल (बांदा): मेरे संसदीय क्षेत्र बांदा के अंतर्गत एन0एच0-35 जनपद बांदा के अतर्रा नगर क्षेत्र एवं जनपद चित्रकूट के कर्वी नगर क्षेत्र से होकर गुजरता है, जिस पर भारी वाहनों का आवागमन ज्यादा रहता है, उक्त क्षेत्र धार्मिक एवं पर्यटन क्षेत्र होने के कारण हर महीने लाखों की संख्या मे श्रद्धालुओं का आना जाना रहता है। एन0एच0-35 जो नगर क्षेत्र के बीच से होकर गुजरता है, जहां पर आए दिन दुर्घटना देखने को मिलती है, तथा जाम की समस्या बनी रहती है, उक्त दोनों नगर क्षेत्र के बाहर बाईपास के निर्माण होने से दुर्घटना एवं जाम की समस्या से निदान पाया जा सकता है। अतः आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूँ, कि जनहित में राष्ट्रीय राजमार्ग-35 जो जनपद बांदा के अतर्रा एवं जनपद चित्रकूट के कर्वी नगर क्षेत्र होकर गुजरता है, मा० मंत्री जी के घोषणा के क्रम में बाईपास निर्माण कराने का कष्ट करें।

(इति)

Re: Need to bring some areas of Izzatnagar under Divisional Railway Manager, Moradabad

श्री तीरथ सिंह रावत (गढ़वाल): मैं उत्तर पूर्व रेलवे में इज्जत नगर से मुरादाबाद मंडल रेल प्रबंधक जॉन के परिवर्तन के संबंध में इस प्रतिष्ठित सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इज्जत नगर डिवीजन में काठगोदाम रेलवे स्टेशन शामिल है जो की नैनीताल अल्मोड़ा आदि जैसे पर्यटन स्थलों का प्रवेश द्वार है और रामनगर मुरादाबाद रेल खंड पर काशीपुर जंक्शन भी कुमाऊं गढ़वाल का प्रवेश द्वार है। मैं आपको सूचित करना चाहता हूं की इज्जत नगर मंडल में बहुत सारी रेल संबंधित परियोजनाएं लंबित है। इसके कारण ट्रेनों का परिचालन ठीक से नहीं हो रहा है। मैं सदन को यह भी अवगत कराना चाहता हूं कि कुमाऊं गढ़वाल के लोगों के लिए रेल सुविधाओं का विकास न होने से यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कुमाऊं गढ़वाल के लोगों के लिए रेल सुविधाओं के विकास ना हो पाने के कोई ध्यान में रखते हुए मेरा सुझाव है की इज्जत नगर के अंतर्गत आने वाले उपरोक्त क्षेत्रों को मंडल रेल प्रबंधक मुरादाबाद में यथाशीघ्र बदल जाए ताकि उचित विकासात्मक गतिविधियों गतिविधियां संचालित संचालित की जा सके। मैं भारत सरकार और रेल मंत्रालय से आग्रह करता हूं कि काशीपुर काठगोदाम रामनगर रुद्रपुर हल्द्वानी आदि क्षेत्रों को मंडल रेल प्रबंधक मुरादाबाद के अंतर्गत में बदल दिया जाए ताकि उन्हें पर्याप्त विकासात्मक सुविधा मिल सके।

(इति)

Re: Enhancement of honorarium of cooks engaged under Mid-day Meal Scheme

श्री विजय बघेल (दुर्ग): मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री से अनुरोध करना चाहूँगा कि शासकीय अर्धशासकीय स्कूलों में मिड डे मिल योजना चलाई जा रही है | जिसमें बच्चों को गरम भोजन पकाने हेतु मानदेय पर रसोइया रखा जाता है, उक्त रसोइये को वर्ष 2009 से 1000/- (अंको में एक हजार रुपये) प्रतिमाह केंद्रीय मानदेय दिया जा रहा है | केंद्र द्वारा उक्त मानदेय में किसी भी प्रकार से बढ़ोतरी नहीं की गई है | अतः आपसे अनुरोध है कि केन्द्रीय मानदेय में रसोइयों के मानदेय में बढ़ोतरी करने की कृपा करें |

(इति)

Re: Stoppage of train no. 14803/14804 at Dhanera railway station in Banaskantha Parliamentary Constituency

श्री परबतभाई सवाभाई पटेल (बनासकांठा): साबरमती से जैसलमेर चलने वाली ट्रेन नंबर 14803-14804 राजस्थान के रामदेवरा से होकर गुजरती है, इस ट्रेन का स्टॉपेज मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत धानेरा में नहीं होने की वजह से वहां के यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ज्ञात हो की मेरे संसदीय क्षेत्र के धानेरा, थराद और पांथावाडा की अधिकतर धर्म प्रेमी जनता जो रामदेवरा में रामदेवपीर के श्रद्धालु हैं, वो लोग काफी संख्या में रामदेवरा जाते हैं परन्तु ट्रेन की सीधी सुविधा नहीं होने के कारण उनको काफी कठिनाई होती है। इस ट्रेन का स्टॉपेज यदि मेरे संसदीय क्षेत्र बनासकाढा के धानेरा में हो जाये तो बड़ी संख्या के श्रद्धालुओं को ट्रेन का लाभ मिलेगा। इसलिए आपके माध्यम से मा. रेल मंत्री जी से आग्रह है की इस ट्रेन का ठहराव धानेरा रेलवे स्टेशन में किया जाये जिससे वहां के और आसपास के निवासियों को रामदेवरा जाने में परेशानी का सामना न करना पड़े।

(इति)

Re: Inclusion of Farrukhabad district in Ghaziabad-Kanpur Greenfield Economic Corridor

श्री मुकेश राजपूत (फर्रूखाबाद): मेरे संसदीय क्षेत्र फर्रुखाबाद (उ०प्र०) में एक भी फोरलेन सड़क नहीं है जबकि मेरे लोकसभा क्षेत्र में कई विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल स्थित हैं और यहीं फतेहगढ़ में सामरिक महत्व के दो-दो सैन्य रेजीमेंट सेंटर भी स्थापित हैं। व्यापारिक दृष्टिकोण से भी फर्रुखाबाद जनपद आलू एवं मक्का उत्पादन में पूरे भारत वर्ष में प्रथम स्थान रखता है। परंतु हमारा संसदीय क्षेत्र फर्रुखाबाद आज भी विकास की धारा से बहुत पिछड़ा हुआ है। अतः आपके माध्यम से मैं माननीय सडक परिवहन मंत्री जी से निवेदन करता हूँ कि प्रस्तावित गाजियाबाद-कानपुर ग्रीन फील्ड इकोनोमिक कॉरिडोर को फर्रुखाबाद जनपद से होकर निकाला जाए तो गाजियाबाद से कानपुर की दूरी भी बहुत कम हो जाएगी। महोदय विगत दिनों कुछ समाचार पत्रों के माध्यम से ज्ञात हुआ कि गाजियाबाद-कानपुर ग्रीन फील्ड इकोनोमिक कॉरिडोर की DPR में कुछ परिवर्तन कर इससे फर्रुखाबाद जनपद को हटाया जा रहा है, जिससे क्षेत्र की जनता में काफी रोष व्याप्त है। अतः आपके माध्यम से मैं पुनः माननीय सडक परिवहन मंत्री जी से आग्रह करता हूँ कि जनपद फर्रुखाबाद के चहुमुखी विकास को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तावित गाजियाबाद-कानपुर ग्रीनफील्ड इकोनोमिक एक्सप्रेसवे से फर्रुखाबाद जनपद को न हटाया जाए बिल्कि फर्रुखाबाद जनपद से ही होकर गुजारा जाए।

(इति)

Re: Construction of North Koel Irrigation Project

श्री सुशील कुमार सिंह (औरंगाबाद): बिहार-झारखंड दो-दो राज्यों के लगभग 25 लाख किसानों की 1.25 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई करने वाली अंतरर्राज्यीय उत्तर कोयल परियोजना का कार्यारंभ 1975 में हुआ। अभी तक हज़ारों करोड़ रुपये से अधिक ख़र्च करने के बावजूद भी दोनों राज्यों के तीन ज़िलों पलामू, औरंगाबाद और गया के किसान एक निश्चित सिंचाई सुविधा से वंचित हैं। जबकि शेष कार्यों को पूर्ण करने हेतु 2017 में केंद्रीय मंत्री परिषद ने 1622 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी। 5 जनवरी 2019 को माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा शेष कार्यों को पूरा करने हेतु शिलान्यास किया गया और कार्यावधि 30 महीने निर्धारित की गई। समय पर कार्य पूर्ण नहीं होने की वजह से निर्माण लागत में वृद्धि के कारण पुनः अक्टूबर 2023 में केंद्रीय मंत्री परिषद ने 2436 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की। जिसके तहत डूब क्षेत्र के किसानों को पुनः मुआवज़ा, मंडल डैम में लोहे का फाटक, मोहम्मदगंज बराज और दाएँ-बाएँ नहरों के जीर्णोद्धार का कार्य होना है। इन सभी कार्यों विशेषकर मुआवज़ा भुगतान करने में झारखंड सरकार का सहयोग अपेक्षित है। मेरी भारत सरकार से माँग है कि लाखों किसानों के हित में 48 वर्षों से लंबित परियोजना के मंडल डैम में अविलम्ब लोहे का गेट लगाया जाए।

(इति)

Re: Facilities for cataract operation in Sadar Hospital, Muzaffarpur

श्री अजय निषाद (मुजफ्फरपुर): केन्द्र सरकार की ओर से मोतिया बिन्द को लेकर देश व्यापी अभियान चल रहा है। इसके तहत बिहार के मुजफ्फरपुर का चयन किया गया है। राज्य सरकार की उदासीनता के कारण यहाँ करीब दस साल से सरकारी अस्पताल में आपरेशन नहीं हो रहा है । वहीं एसकेएमसीएच परिसर में आँख के बेहतर इलाज के लिए आई बैंक की स्थापना की गई थी। आई बैंक तैयार करने में कुल तीन करोड़ खर्च हुआ लेकिन अभी तक यह चालू नहीं हो सका जिसके चलते लोगों को सुविधाओं से वंचित होना पड़ रहा है। आई बैंक तैयार करने का मुख्य उद्देश्य यह था कि कोई व्यक्ति नेत्रदान करेंगे तो उसकी आँखों को यहाँ रिजर्व रखा जाएगा और यहाँ पर ताला लटका हुआ है । सदर अस्पताल मुजफ्फरपुर में विशेषज्ञ चिकित्सक के रहते ओटी यानी आपरेशन थियेटर की सुविधा नहीं रहने कारण गरीब मरीज निजी अस्पताल में जाकर आपरेशन कराने को मजबूर हैं । 2020 में एसकेएमसीएच में आई बैंक बन कर तैयार हो गया लेकिन वह चालू नहीं हो पाया। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि मोतिया बिन्द के आपरेशन हेतु तत्काल सुविधा मुहैया कराया जाय।

(इति)

Re: Need to provide stoppage of trains in Shahjahanpur Parliamentary Constituency

श्री अरूण कुमार सागर (शाहजहाँपुर): मेरे संसदीय क्षेत्र शाहजहांपुर के अंतर्गत रेलगाड़ी संख्या 13049-1350 (डुप्लीकेट मेल), रेलगाड़ी संख्या 54377-54378 (बरेली-प्रयागराज पैसेंजर), रेल गाड़ी संख्या 54251-54252 (लखनऊ-सहारनपुर पैसेंजर), रेलगाड़ी संख्या 54075-54076 (शाहजहांपुर दिल्ली पैसेंजर) कोरोना कल से बंद पड़ी हुई हैं।

दूसरे, तिलहर से दिल्ली आने के लिए काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस का ठहराव तिलहर रेलवे स्टेशन पर है, लेकिन सद्भावना एक्सप्रेस और अवध-आसाम एक्सप्रेस का नहीं है। जबकि तिलहर और उसके निकटवर्ती क्षेत्रों से एक बड़ी संख्या में क्षेत्रीय जनता और व्यापारी भाइयों का दिल्ली आवागमन होता है। इन रेलगाड़िया के अलावा टनकपुर-सिंगरौली के बीच चलने वाली त्रिवेणी एक्सप्रेस का ठहराव भी तिलहर रेलवे स्टेशन पर दिए जाने की आवश्यकता है।

कटरा भी क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है। इस स्टेशन पर भी रेलगाड़ी संख्या 14235-14236 (बरेली-बनारस एक्सप्रेस) का ठहराव न होने से क्षेत्रीय जनता को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

अतः मेरा अनुरोध है कि मेरे संसदीय क्षेत्र में कोरोना काल के दौरान बंद की गई रेलगाड़ियों को पुन प्रारंभ किए जाने के साथ-साथ संदर्भित रेलवे स्टेशनों पर उपरोक्त एक्सप्रेस गाड़ी रेल गाड़ियों का ठहराव सुनिश्चित किए जाने हेतु समुचित कार्रवाई की जाए।

(इति)

Re: Need to frame a national policy to tackle human-elephant conflict

श्री संजय सेठ (राँची): मेरे लोकसभा क्षेत्र रांची (झारखण्ड), हाथी और मानव के संघर्ष से बुरी तरह जूझ रहा है। समय के साथ समस्या गंभीर होती जा रही है। ईचागढ़ और सिल्ली विधानसभा क्षेत्र हाथियों के आतंक से बुरी तरह प्रभावित हैं। 2000 से अधिक परिवार हाथियों के आतंक से पीड़ित हैं और 8000 एकड़ से अधिक की खेतों पर लगी फसलों को हाथियों ने बर्बाद किया है। ऐसा नहीं है कि संघर्ष में फसल और इंसानों को नुकसान हो रहा है। कई बार हाथियों की भी जान जा रही है। अक्सर हाथी ट्रेन दुर्घटना का शिकार होते हैं। उनकी मौत हो जा रही है। दुर्भाग्य है कि राज्य सरकार का इस पर तनिक भी ध्यान नहीं है। राज्य सरकार को पत्र लिखकर, सारी परिस्थितियों से अवगत कराने के बाद भी नतीजा शून्य है। राज्य सरकार इसका स्थाई समाधान खोजने के मूड में बिल्कुल भी नहीं दिखती। मुआवजे के नाम पर छोटी-मोटी रकम बांट दी जाती है, जो नुकसान की भरपाई के लिए बहुत कम है। इस मामले में राष्ट्रीय नीति बनाई जाए और स्थाई समाधान ढूंढा जाए। ताकि हाथियों और मानव के बीच चल रहा संघर्ष रुक सके। हाथी अपना जीवन जी सकें। फसलों का नुकसान ना हो और ग्रामीण भी जीवन बसर कर सकें। (इति)

Re: Setting up of a Thermal Power Plant in Deoria Parliamentary Constituency

डॉ. रमापति राम त्रिपाठी (देवरिया): मान्यवर सदन के माध्यम से अपने लोक सभा क्षेत्र देवरिया के सम्बंध में अवगत कराना चाहता हूँ कि मेरा क्षेत्र उत्तर प्रदेश का अंतिम पूरब दिशा में अंतिम क्षेत्र है। बिहार के बार्डर से सटा हुआ क्षेत्र है। हमारे क्षेत्र में नदियों का प्रयाप्त स्त्रोत है। कई नदिया हमारे क्षेत्र से होकर जाती है। साथ ही बिहार और झारखण्ड का बार्डर होने के कारण नजदीक में कायले की आपूर्ति भी सुलभ है और प्राप्त बन्जर भूमि भी है। इसको देखते हुए हमारे क्षेत्र देवरिया में एक थर्मल पावर प्लांट लगाकर विद्युत उत्पादन करना उपयोगी रहेगा।

अतः मेरा सदन के माध्यम से माननीय विद्युत मंत्री जी से आग्रह है कि इसका सर्वेक्षण कराके तथा व्यवहार्यता का अध्ययन करके यहाँ एक थर्मल पावर प्लांट लगाने का निर्णय शीघ्र लिया जाना चाहिए। (इति)

Re: Railway related issues in Tamil Nadu

SHRI SU. THIRUNAVUKKARASAR (TIRUCHIRAPPALLI): I would like to place certain important long pending demands of railway services in respect of Tamil Nadu and my Tiruchirappalli Parliamentary constituency: -

(i) Construction of a ROB (or) RUB at Thiruvappur in lieu of LC No. 372 at km. 452/900-453/000 between Vellanur – Pudukottai Stations in TPJ-MNM Section pending with the Railway Board for sanction;

(ii) Construction of a ROV (or) RUB at Karuveppalan in lieu of LC No. 376 at km. 455/800-900 between Vellanur- Pudukottai Stations in TPJ-MNM section which is duly sanctioned needs to be speeded up;

(iii) A Daily Train from Manamadurai- Chennai via Sivaganga, Karaikudi-Aranthangi-Peruvurani- Mayiladhurhurai- Villupuram –Chennai;

(iv) A daily train from Tiruchy-Bangalore as the Mayiladuthurai-Mysore Express (Train No. 16231/162320) is always crowded and it is very difficult to get a confirmed ticket;

(v) A daily train from Pudukottai-Trichy-Villupuram-Chennai;

(vi) New Railway line between Thanjavur-Pudukottai via Gandharvakottai (65 Kms) for which survey was sanctioned in 2012-13;

(vii) A day time intercity Express between Trichy-Chennai-Trichy leaving Trichy at 0600 hrs. so as to reach Chennai Egmore by Noon and from Chennai Egmore at around 2-30 hrs. to reach Tiruchy by evening.

(ends)

Re: Construction of Kannur By-Pass on NH-66

SHRI K. SUDHAKARAN (KANNUR): The plight of the residents of Valiyannur Village in Kannur is a matter of concern due to the unresolved issues in the construction of the Kannur By-Pass [NH 66]. The service road, from L 150/596 towards Kozhikode, disrupts residents' travel as it is built parallel to the main road. Additionally, rainwater pooling near the proposed by-pass lacks drainage, impacting Varam town and its surroundings. In light of these issues, there has been widespread public demand to reevaluate the L 150/596 chainage and establish a drainage system from Varam areas to Kakkad. Residents also request travel facilities along the PC road, especially from (L150+100), for easy access from Chalilmota via Palliprom to Kannur. In response to my unstarred question no. 776, the Minister acknowledges the issues raised by the residents but states that the project provides sufficient service roads, crossing facilities, and drainage as per the concession agreement. The Ministry may kindly take into account the demands of the local people.

(ends)

Re: Recognition of Hogenakkal as an International Tourist destination

DR. DNV SENTHILKUMAR S. (DHARMAPURI): The magnificent Hogenakkal Waterfalls are often referred to as the Niagara of Tamil Nadu. I propose that the Ministry of Tourism recognise and designate Hogenakkal as an International Tourism destination. This natural wonder, with its panoramic views, has the potential to become a major recreational spot, attracting tourist from around the world. I request the concerned Ministry to allocate the necessary funds to develop infrastructure and promote Hogenakkal as a global tourist destination. I request the development of Eco Tourism Sports and adventure sports in Tribal hilllocks of Sitheri Hills which holds a lot of potential and which can thrive as tourist destinations with proper infrastructure and development. I request the Ministry of Forest to come forward in looking at this proposal.

(ends)

Re: Restoration of Railway concession to Artists

SHRI LAVU SRIKRISHNA DEVARAYALU (NARASARAOPET): Before the pandemic, artists, whether performing solo or in groups (dance, music, theater, magic, etc.), enjoyed a substantial 50-75% concession in railway fare. This included a 75% concession in second class and Sleeper classes, and a 50% concession for 1st class, AC chair car, 3 AC, and 2 AC. Unfortunately, the suspension of 38 out of 53 concession categories, including those for artists, has exacerbated the financial challenges faced by both senior citizens and artists alike. The financial impact of this concession suspension, totalling ₹5,062 crore solely for the senior citizens category, underscores the gravity of the situation. The struggle of senior citizens, who also constitute a significant portion of those affected, cannot be understated, as many are finding it difficult to travel for essential needs and family engagements. With the upcoming 26th January celebrations, and other significant cultural events on the horizon, restoring these concessions is crucial. Thus, it is imperative for the Ministry to recognize the shared struggle of artists and senior citizens during these challenging times. Therefore, I urge upon the Honourable Minister of Railways to reconsider this suspension, providing crucial financial relief to artists and senior citizens alike.

(ends)

Re: Cases of Suicide among Students

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): The suicide by students studying in coaching centres is a matter of concern. In 2023, twenty-nine students committed suicide. Eighteen students in 2019, in 2022, the number was fifteen and twenty students committed suicide in 2018. The suicides were maximum among NEET preparing for medical since the competition is maximum among them. There are also suicides among engineering aspirants. Students are coming from all over India to study in these coaching centres. Average cost per year is about Rs. 1.5 lakhs. This is apart from hostel expenditure amounting to Rs. 50,000/- per year. This causes financial pressure among students who spent between Rs. 5 to 6 lakhs preparing for NEET and JEEE. The annual coaching expenditure in component Kota’s economy is Rs. 10,000 crores. This has to be turned down. The parents also ought to be advised not to put pressure on the students. I want the Central Government to regulate the fees of the coaching centres and arrange counselling for the students. (ends)

Re: Establishment of medical college in Buldhana parliamentary constituency

श्री प्रतापराव जाधव (बुलढाणा): मेरा संसदीय क्षेत्र बुलढाणा एक अति पिछड़ा हुआ जिला है और इसमें 13 तहसीलें आती है। मेरे संसदीय क्षेत्र/जिले में एक भी शासकीय मेडिकल कालेज उपलब्ध नहीं है तथा यहां पर अत्याधुनिक शासकीय स्वास्थ्य सेवाओं का भारी अभाव है, जिस कारण गरीब बीमार लोगों को चिकित्सा उपचार में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मैं आपको यह भी अवगत कराना चाहूंगा कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा के द्वारा शासकीय मेडिकल प्रारम्भ करने का शासन निर्णय लिया है। बुलढाणा में आज की स्थिति में शासकीय अस्पताल 309 बिस्तर का व 100 बिस्तर की नई इमारत तैयार है व 20 एकड़ भूमि भी उपलब्ध करा दी गई है तथा आवश्यक आधारभूत संवरचना निर्माण का कार्य भी पूरा हो चुका है। प्राथमिक जांच पड़ताल के लिए आये केन्द्रीय टीम ने भी निरीक्षण उपरांत बुलढाणा में मेडिकल कालेज की स्थापना हेतु उपयुक्त पाया है। महाराष्ट्र राज्य सरकारद्वारा दि. १३/०९/२०२३ को राष्ट्रीय मेडिकल कॉन्सिल, दिल्ली को निरीक्षण हेतु आवेदन दिया है। अतः मेरा आपसे अनुरोध है कि बुलढाणा में शासकीय मेडिकल कालेज की स्थापना हेतु केन्द्र एवं राज्य सरकार की समस्त औपचारिकताएं अविलम्ब पूर्ण करते हुए इसको शीघ्र खुलवाए जाने हेतु निर्देष प्रदान कराने का कष्ट करें।

(इति)

Re: Flood and land erosion caused by Ganga, Kosi and Mahananda rivers in Katihar Parliamentary Constituency

श्री दुलाल चन्द्र गोस्वामी (कटिहार): बिहार राज्य अन्तर्गत हमारे संसदीय क्षेत्र कटिहार में हर साल महानन्दा नदी जब जुलाई-अगस्त माह के प्रारम्भ में उफान पर आती है। तो कटिहार जिले के चार प्रखण्डों में कदवा, बलरामपुर, बारसोई, प्राणपुर, आजमनगर और अमदाबाद क्षेत्र महानन्दा नदी के किनारे बसे गॉव हर साल भंयकर बाढ़ की चपेट में आती है। यही नहीं दूसरी ओर अगस्त एंव सितम्बर महीने में गंगा, कोसी, बंरडी और कारी कोसी नदी से कुर्सेला प्रखण्ड, समेली प्रखण्ड, बरारी प्रखण्ड, मनिहारी प्रखण्ड एंव अमदाबाद प्रखण्ड के बाढ़ से हजारों की संख्या में गॉव की आबादी प्रभावित होती है। मैं जल शक्ति मंत्री जी से मॉग करता हूॅ कि मंत्रालय द्वारा एक कमेटी बनाकर कटिहार संसदीय क्षेत्र में भेजा जाय और गंगा, कोसी एंव महानन्दा नदी से हर साल आने वाली बाढ़-कटाव एंव विस्थापितों के पुनर्वास से संबंधित ठोस सुरक्षा योजनाए बनायी जाय, जिससे कटिहार जिले में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का स्थायी समाधान हो सकें।

(इति)

Re: Incidents of male suicides in India

श्री अनुभव मोहंती (केन्द्रपाड़ा): NCRB रिपोर्ट 2021 के अनुसार पुरुषों की आत्महत्या का आंकड़ा 72.4% है। अपने भाइयों पिताओं और दोस्तों द्वारा अनुभव किए गए दर्द और पीड़ा से आंखें बंद नहीं कर सकते। हर आत्महत्या सिर्फ एक आंकड़ा नहीं बल्कि उसके परिणामों से जूझते एक परिवार को दर्शाता है। सामाजिक अपेक्षाओं का बोझ अक्सर पुरुषों पर बहुत भारी पड़ता है। अपने emotional struggles को कह पाना मुश्किल हो जाता है। प्रतिनिधियों के रूप में यह हमारा कर्तव्य है कि एक ऐसा समाज बनाए जहां पीड़ा की बात और सम्मान की बात आए तो हर वर्ग महसूस कर सके कि इस सदन में उनकी भी बात कही और सुनी जाती है। हमें ऐसे समाज को बनाना है जहां मानसिक स्वास्थ्य के बारे में खुलकर बातचीत हो और यह सुनिश्चित भी करना होगा कि कानूनी ढांचा ऐसा हो जहां न्याय किसी भी जेंडर से परे निष्पक्ष और समान हो। कानून निर्माता के रूप में हमारे पास ऐसी नीतियों को आकार देने की शक्ति भी है। मैंने राज्यसभा में Equal Participation of Women in Governance पर प्राइवेट बिल introduce किया था। महिलाओं से जुड़ा ऐसा कोई विषय नहीं जहां मेरे दल और मैंने अपना समर्थन न दिया हो। इस देश की लाखों माताओं, बहनों की विनती है कि इस मुद्दे को गंभीरता से लिया जाए।

(इति)

Re: Ethanol production in the country

KUNWAR DANISH ALI (AMROHA): India's ethanol production plan from foodgrains emphasizing worries about food security and water scarcity has a specific focus on embedded greenhouse gas emissions. The diversion of 78,000 tonnes of rice from the Food Corporation of India to ethanol production in 2021 exacerbates food scarcity. India's rank at 111 in Global Hunger Index 2023 highlights that allocating subsidized food grains for ethanol is unwarranted. Moreover, the water-intensive nature of sugarcane cultivation, a key ethanol source, is causing environmental strain, with 70% increase in irrigation demand leading to salinity and groundwater threats. Most importantly, the carbon intensity of ethanol production is 24% higher than traditional petrol, raising questions about the actual environmental benefits. Therefore, I urge upon the Government to review India's ethanol plan for its impact on food security, water scarcity, and the environment, thereby considering alternative strategies for cleaner energy in line with sustainability goals.

(ends)

Re: Construction of Hasanpur to Barauni and Simri Bakhtiarpur to Bihariganj railway lines in Bihar

चौधरी महबूब अली कैसर (खगड़िया): महोदय मैं आपका ध्यान खगड़िया लोकसभा के दो महत्वपूर्ण नई रेल लाइन हसनपुर से बरौनी एवं सिमरी बख्तियारपुर से बिहारी गंज वाया बेलदौर की ओर ले जाना चाहता हूं सिमरी बख्तियारपुर से बिहार गंज वाया बेलदौर 54 किलोमीटर नई रेल लाइन का सर्वेक्षण का कार्य होना था परंतु फंड के अभाव में अभी तक यह कार्य पूरा नहीं किया गया है वही हसनपुर से बरौनी के नई रेल लाइन सर्वेक्षण का कार्य तो पूर्ण कर लिया गया है परंतु आवंटन के अभाव में आगे का कार्य बंद पड़ा है मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री से मांग करता हूं कि दोनों नई रेल लाइनो का आवंटन दे कर जल्द से जल्द कार्य को पूर्ण कार्य कराया जाए साथ ही साथ वर्ष 1999 में सोनपुर डिवीजन के अंतर्गत भारत खंड हॉल्ट का निर्माण किया गया था परंतु आज तक यह हॉल्ट मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। न ही प्लेटफार्म पक्कीकरण का कार्य हुआ है और ना ही प्लेटफार्म पर आने के रास्ते का, जबकि इस हॉल्ट पर तीन जोड़ी अप और तीन जोड़ी डाउन ट्रेन का ठहराव है।

(इति)

Re: Amendment to the Laccadive, Minicoy and Amindivi Islands Land Revenue and Tenancy Regulation, 1965

SHRI MOHAMMED FAIZAL P.P. (LAKSHADWEEP): In accordance with the Gazette Notification dated 25th October,2023, there was an omission of section 15 A of the Laccadive, Minicoy and Amindivi Islands Land Revenue and Tenancy Regulation, 1965. But I would regret to say that such an amendment was made without considering the democratic rights, neither releasing public notice, nor taking the effort to solicit the opinions of the public as well as not executing privilege study consultation. This amendment clearly denies the rights of the Lakshadweep natives and henceforth I request the Hon'ble Minister of Home Affairs to re-establish the repealed amendment LMA LRTR act.

(ends)

Re: Inclusion of Kuruba community in the list of Scheduled Tribes

SHRI S. MUNISWAMY (KOLAR): There is a justification from the Kuruba community of Karnataka to include their community in the schedule tribe list. I would like to know whether the Government is considering the removal of the Kuruba community from the Other Backward Class list so as to accommodate them amongst the new schedule tribes list. Based on the ethnographic and anthropology reports/statistics will the Government consider initiating steps to include the deprived Kuruba community of Karnataka in the scheduled tribes list. Is the Government aware that most of the Kuruba community still practices the age-old community based profession of grazing of sheep in the state of Karnataka. I wish to inform that the erstwhile Bommai Government in Karnataka had initiated steps in this direction and forwarded the relevant documentation so that the Union Government with political will may help this deprived community for the greater good and social balance. The districts of Kolar and Chikkaballapur in Karnataka too have large number of Kuruba population and hence there is a need to include the Kuruba community in coordination with the Departments of Law & Justice, Department of Home Affairs and the Department of Tribal Affairs, Government of India.

(ends)

… (व्यवधान)

POST OFFICE BILL --- Contd.

1402 hours

माननीय सभापति: आइटम नम्बर – 38, डाकघर विधेयक, 2023.

डॉ. बीसेट्टी वेंकट सत्यवती

DR. BEESETTI VENKATA SATYAVATHI (ANAKAPALLE): Thank you, Chairperson, Sir, for giving me the opportunity to speak on a very important piece of legislation called the Post Office Bill, 2023.

There have not been any amendments to the colonial-era law in the last 125 years. I appreciate the introduction of such an essential piece of legislation in the Parliament. I would like to share a few of my observations regarding the measures taken by the Centre in this regard. These are some of the very important points.

The Bill increases the authority of the Central Government to intervene in situations involving vital aspects such as security, fostering friendly relations with foreign nations, maintaining public order, responding to emergencies, and ensuring public safety. More specifically, the Bill allows for the interception, examination, or temporary detention of any item in transit through the postal system under the aforementioned circumstances. Such a provision can be a game changer in terms of countering illicit smuggling and unauthorised transportation of drugs and contraband products via postal services.

Sir, the prescribed norms of using address identifiers and usage of postcodes which is a combination of numerals, letters, or digital code, used to identify a geographic area or place, and to facilitate the sorting and delivery of items, while encouraging innovation would also aid in minimising security threats. Thus, I applaud this proactive approach to addressing the evolving nature of threats and risks associated with the postal network.

The second important point is with regard to flexibility in pricing. In 2021, the courier, express, and parcel (CEP) market in India reached 3.9 billion pieces. It was a significant gain over the previous year with a compound annual growth rate of more than 26.7 per cent. Lockdowns imposed as a result of the coronavirus outbreak increased e-commerce and strengthened the CEP sector. Hence, within the context of India's postal system, the latest Bill marks a significant shift by granting the Postal Department the right to establish rates for

their services independently. This enhanced pricing flexibility is considered critical, especially in the context of an increasingly competitive business which lets the postal services promptly respond to the market's everchanging expectations.

Furthermore, the postal service's independent pricing allows it to stay adaptable in the face of a changing economic situation. The ability to alter service charges and pricing structures allows the Department to ensure that its services remain affordable, accessible, and sustainable even when economic conditions change. In essence, this empowerment aligns with the Postal Department's mandate to deliver a diverse spectrum of citizen-centric services.

(1405/SNT/RAJ)

Chairperson Sir, in contrast to the outdated provisions of the existing 1898 Act, the Bill introduces a significant shift in its approach to the interception of objects within India’s postal system. The key distinction is in the usage of the terminology, wherein the present Act explicitly defines seized postal products as those carrying ‘explosive, dangerous, filthy, noxious, or deleterious substances. I would like to give some suggestions on behalf of the YSR Congress Party. Although the new Bill gives India Post authority to improve its operations in the postal services, it is critical to recognise that the regulatory environment for courier enterprises is still relatively underdeveloped. This regulatory void presents a number of significant questions. India Post has a market share of less than 15 per cent in the vast Courier, Express and Parcel (CEP) industry, highlighting the difficulties the postal service faces in controlling the courier industry. Before I conclude, hon. Chairperson, Sir, I would like to mention that the passage of this Bill is an important step in the restructuring of India’s postal services ushering them into the modern era. By repealing outdated restrictions, this Act guarantees that India’s postal industry stays dynamic and inclusive, successfully adapting to the changing requirements of its varied population.

With these few suggestions, I support this Bill on behalf of the YSR Congress Party. Thank you very much, Sir.

(ends)

माननीय सभापति (श्री राजेन्द्र अग्रवाल): श्रीमती प्रतिमा मण्डल।

…(<u>व्यवधान</u>)

माननीय सभापति : श्री गजानन कीर्तिकर।

… (<u>व्यवधान</u>)

माननीय सभापति : श्री दिलेश्वर कामैत।

… (<u>व्यवधान</u>)

माननीय सभापति : श्री भोला सिंह।

1407 बजे

श्री भोला सिंह (बुलंदशहर): सभापति महोदय, आपने मुझे डाक विधेयक, 2023 पर बोलने का मौका दिया है और इस नए सदन में पहली बार बोलने का अवसर मिल रहा है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।...(व्यवधान) मैं इस बिल के समर्थन में बोलने के लिए सदन में खड़ा हुआ हूं।...(व्यवधान) पिछले नौ सालों में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में डाकघरों की स्थिति में बहुत सुधार हुआ है।...(व्यवधान)

माननीय सभापति जी, पहले हम देखते थे कि डाकघरों की स्थिति बहुत खराब होती जा रही थी।...(व्यवधान) क्षेत्र के गांववासियों को डाकघरों के पोस्टमैन का इंतजार रहता था कि कब वे हमारे नियर-डियर की चिट्ठियां लेकर हमारे पास आएंगे, कब हमें उनका समाचार पत्र के माध्यम से मिलेगा?...(व्यवधान) पहले पोस्टमास्टर्स को काम करने में बहुत कठिनाइयां होती थीं, लेकिन जब से इस देश की कमान हमारे यशस्वी प्रधान मंत्री, आदरणीय मोदी जी को प्राप्त हुई, तब से डाकघरों की स्थिति में बहुत सुधार देखने को मिल रहा है।...(व्यवधान) उनकी जो स्थिति के साथ-साथ उनकी कार्यप्रणाली और कार्यशैली में भी बहुत सुधार हुआ है।...(व्यवधान) उनके माध्यम से, सरकार की योजनाओं के माध्यम से, उनकी जनकल्याणकारी सुरक्षा योजनाओं के माध्यम से लोगों को लाभ पहुंचाया जा रहा है।...(व्यवधान) हम देख रहे हैं कि चाहे बचत खाता हो, चाहे सुकन्या समृद्धि योजना हो या अन्य सरकार की योजनाएं हों, जिनके माध्यम से, आज पोस्टमैन के माध्यम से गांव-गांव, घर-घर तक लोगों को योजना की डिलीवरी हो रही है।...(व्यवधान) इसके साथ-साथ हमने देखा है कि हर जिले में हमारी सरकार ने माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में पासपोर्ट ऑफिस बनाये हैं।...(व्यवधान) सभापति जी, मेरे लोक सभा क्षेत्र में भी जो हमारा हेड पोस्ट ऑफिस है, उसमें पासपोर्ट ऑफिस बन गया है, जिसके कारण वहां के लोगों को पासपोर्ट बनाने के लिए कहीं बाहर जाने, चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है।...(व्यवधान) उनको वहीं पर पासपोर्ट मिलते हैं और वहीं पर सरकार की योजना, जितने बचत खाते हैं, सभी की सुविधा मिलती है।...(व्यवधान) पिछले नौ सालों में, पोस्ट ऑफिस के माध्यम से 26 करोड़ एकाउंट्स, जिनमें 17 लाख करोड़ रुपए की डिपॉजिट पोस्ट ऑफिस के माध्यम से हुई है। सुकन्या समृद्धि योजना में तीन करोड़ से अधिक एकाउंट्स खोले गए हैं। उन खातों में एक लाख, 41 करोड़ रुपए की डिपॉजिट है।...(व्यवधान)

(1410/KN/AK)

पूरे देश में पासपोर्ट के 434 सेंटर्स बनाए गए हैं। आधार कार्ड का एनरोलमेंट इनके माध्यम से होता है।... (व्यवधान) इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के माध्यम से अनेकों योजनाएं हैं और एकाउंट्स खोले गए हैं।... (व्यवधान) इन बैंकों में लगभग 8 करोड़ एकाउंट्स खोले गए हैं और आधार कार्ड के 10 करोड़ से ऊपर ट्रांजेक्शन हो चुके हैं।... (व्यवधान)

माननीय सभापति (श्री राजेन्द्र अग्रवाल): आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री भोला सिंह (बुलंदशहर): डीबीटी के माध्यम से साढ़े 3 करोड़ एकाउंट्स खोलने का काम किया गया है।... (व्यवधान)

सर, मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। माननीय प्रधान मंत्री जी और माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूं।... (व्यवधान) मैं आपका पुन: धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।... (व्यवधान)

(इति)

माननीय सभापति : श्री प्रतापराव जाधव जी। आप प्लीज संक्षेप में अपना वक्तव्य रखिए।

1411 बजे

श्री प्रतापराव जाधव (बुलढाणा): महोदय, मैं माननीय संचार मंत्री जी द्वारा पेश किए गए डाकघर विधेयक, 2023 का समर्थन करने के लिए यहां पर खड़ा हुआ हूं।... (व्यवधान)

महोदय, हमारे यशस्वी प्रधान मंत्री माननीय श्री नरेन्द्र मोदी जी के दिशा-निर्देश में हमारे विद्वान मंत्री माननीय श्री अश्वनी वैष्णव जी ने ब्रिटिश काल से चले आ रहे पोस्ट ऑफिस कानून को बदलने का महत्वपूर्ण कार्य यहां पर किया है।... (व्यवधान)

महोदय, भारतीय डाक सेवा की स्थापना यूं तो 166 साल पहले 1 अप्रैल, 1854 को हुई थी, लेकिन सही मायने में इसकी स्थापना 1 अक्टूबर, 1854 को मानी जाती है। उस वक्त लगभग 701 डाकघरों को मिलाकर भारतीय डाक विभाग की स्थापना हुई थी।... (व्यवधान)

महोदय, एक समय था, जब लोग खत या चिट्ठी के माध्यम से अपने शब्दों को ही नहीं, बल्कि अपनी भावनाओं को भी पिरोया करते थे।... (व्यवधान) इन खतों के माध्यम से वे सुख-दु:ख की कहानियों के साथ-साथ ढेर सारा प्यार भी आपस में बांट लेते थे।... (व्यवधान)

महोदय, यह देखने वाली बात है कि संचार क्रांति ने चिट्ठियों पर बेशक असर डाला है, पर हमारे यशस्वी प्रधान मंत्री माननीय श्री नरेन्द्र मोदी जी के दिशा-निर्देश में भारत सरकार ने बहुत तेजी से डाक व्यवस्था का विस्तार एवं आधुनिकीकरण किया। इसके जरिये सरकारी योजनाओं को भी घर-घर तक पहुंचाया।... (व्यवधान) दुनिया भर में जहां डाक सेवाएं सिमट रही हैं, वहीं भारतीय डाक न केवल तकनीक के साथ कदमताल कर रहा है, बल्कि अपना विस्तार भी कर रहा है।... (व्यवधान)

महोदय, वर्तमान में देश भर में डाकघरों का विशाल नेटवर्क मौजूद है।... (व्यवधान) भारत में कुल 1 लाख 64 हजार डाकघर हैं। कांग्रेस की अगुवाई में यूपीए सरकार ने देश में लगभग 660 डाकघरों को बंद किया था।... (व्यवधान)

माननीय सभापति : आप संक्षेप में बोलिये।

... (व्यवधान)

श्री प्रतापराव जाधव (बुलढाणा): लेकिन माननीय मोदी जी की लीडरशिप में एनडीए सरकार ने 5000 नए डाकघर खोले हैं। आज गांवों में डाकघरों का ढांचा बहुत ही मजबूत है।... (व्यवधान)

महोदय, माननीय मोदी जी की लीडरशिप में एनडीए सरकार ने डाकघर क्षेत्र में लगभग 1 लाख 28 हजार नए रोजगार दिए हैं और इतने ही और देने जा रहे हैं।

महोदय, आज़ादी के कई वर्षों बाद तक डाक विभाग के कंधों पर देश की सूचना और संचार तंत्र का सबसे बड़ा जिम्मा था।... (व्यवधान) इसके बावजूद यह विभाग सरकारी उपेक्षा का शिकार बना रहा, लेकिन हमारे यशस्वी प्रधान मंत्री जी के दिशा-निर्देश में हमारे विद्वान मंत्री

माननीय अश्वनी वैष्णव जी ने संचार क्षेत्र की अहमियत को समझा और डाक सुधारों का जिम्मा उठाया।... (व्यवधान)

माननीय सभापति : आप बस अंतिम वाक्य बोल दीजिए।

... (व्यवधान)

श्री प्रतापराव जाधव (बुलढाणा): महोदय, मैं दो-तीन सुझाव देना चाहता हूं। केन्द्र और राज्य सरकारों की डीबीटी सेवाओं को इंडिया पोस्टल बैंक के माध्यम से चलाना और योजनाओं के सभी खाते, जो छोटे खाते हैं, गरीबों के खाते हैं, देहातों में खाते हैं, उनको नेशनलाइज बैंकों से ट्रांसफर करके पोस्ट ऑफिस को देने चाहिए ताकि लोगों के ज्यादा देर तक रुकने के कारण उनके काम का नुकसान न हो।... (व्यवधान) सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड कंपनी को ऑपरेटर की ट्रेनिंग और मॉनीटरिंग का कार्य दिया गया था। वह सही ढंग से नहीं कर रही है।... (व्यवधान) उस काम को भी पोस्ट ऑफिस को देना चाहिए। अंग्रेजों के जमाने की जो पुरानी बिल्डिंग है और कुछ कार्यालय किराये के भवनों पर चल रहे हैं, इसलिए मेरी सरकार से विनती है कि शहरों में या बड़े शहरों में जो ऐसी जगह हैं, वहां बीओटी के माध्यम से डाकघर बनाए जाएं तथा बचे हुए पैसों से हम देहातों में भी नए डाकघर खोल सकते हैं।... (व्यवधान)

(1415/VB/UB)

ऐसे बिना दावे के जो खाते हैं, जिनका कोई दावेदार नहीं है, जिसमें लगभग 16 हजार करोड़ रुपए की राशि पड़ी है।... (व्यवधान) ऐसे खातों की राशि को कुछ समय पश्चात् सीनियर सिटीज़न वेलफेयर फण्ड में रखा जाता है।... (व्यवधान) उसके बाद इसे वित्त मंत्रालय द्वारा उपयोग में लाया जाता है। मेरी यह मांग है कि इस राशि में से कुछ राशि यदि डाक विभाग के आधारभूत संरचना के उपयोग में लायी जाए तो अच्छा होगा।... (व्यवधान)

डाक विभाग की पार्सल पैकेजिंग सेवा को अमेजन एवं फ्लिपकार्ट जैसी कम्पनियों के साथ प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए बड़े पार्सल की पैकेजिंग व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने की आवश्ययकता है।... (व्यवधान)

(इति)

1416 बजे

श्री रामशिरोमणि वर्मा (श्रावस्ती) : माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे पोस्ट ऑफिस बिल पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ।... (व्यवधान)

माननीय सभापति (श्री राजेन्द्र अग्रवाल) : कृपया अपनी बात संक्षेप में रखें।

... (व्यवधान)

श्री रामशिरोमणि वर्मा (श्रावस्ती) : महोदय, अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे पोस्ट ऑफिस अधिनियम, 1898 के प्रावधानों में लाये गये संशोधन बिल का मैं समर्थन करता हूँ।... (व्यवधान) लगभग 150 वर्षों से पोस्ट ऑफिस देश में संचार का प्रमुख साधन रहा है।... (व्यवधान) देश के सामाजिक और आर्थिक विकास में इसका महत्वपूर्ण योगदान रहा है।... (व्यवधान) देश में करीब 159 लाख पोस्ट ऑफिस नेटवर्क्स हैं, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से डाक विभाग लगातार घाटे में चल रहा है, जिसमें सुधारकर ज्यादा से ज्यादा इसकी इनकम बढ़ाने की जरूरत है।... (व्यवधान) डाक विभाग की सुविधाओं को और दुरुस्त करने एवं दूरदराज के इलाकों में इसका प्रचार-प्रसार करने की जरूरत है।... (व्यवधान) इसके साथ ही, प्राथमिकता के आधार पर उपभोक्ताओं की समस्याओं को सुनकर, उनका शीघ्र निवारण किया जा सके, इसका प्रावधान भी इस बिल में किया जाए।... (व्यवधान)

मौजूदा बिल में कई आपराधिक मामलों को हटाया गया है और पार्सल खो जाने या टूट-फूट हो जाने एवं प्राइवेसी को लेकर भी एक चिन्ता बनी हुई है।... (व्यवधान) डाक अधिकारी को कुछ आधार पर पार्सल को रोकने और जाँच के नाम पर उसे खोलकर देखने का अधिकार मिलने से यह तय करना मुश्किल होगा कि अधिकारी ने किस उद्देश्य से पार्सल को खोलकर देखा।... (व्यवधान) इसमें डाक कर्मचारी व अधिकारी की जवाबदेही सुनिश्चित हो सके, उसके लिए इस पर विचार करने की जरूरत है।... (व्यवधान)

इसके साथ ही, कीमती सामानों के पार्सल पर बीमा की व्यवस्था हो, जरूरत के हिसाब से अच्छी पैकेजिंग हो, सुरक्षित और समय पर इसकी डिलीवरी हो सके, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इससे न केवल उपभोक्ताओं में डाक विभाग के प्रति विश्वास बढ़ेगा, बल्कि डाक विभाग को आर्थिक रूप से भी लाभदायी बनाया जा सकेगा।... (व्यवधान)

बहुत-बहुत धन्यवाद।... (व्यवधान)

(इति)

1419 बजे

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री देवुसिंह चौहान): माननीय सभापति महोदय, आज जब सरकार इस विभाग का बिल लेकर आयी तब इस बिल के संबंध में आदरणीय सांसद शशि थरूर से लेकर श्री रामशिरोमणि वर्मा तक काफी सांसदों ने इसमें हिस्सा लिया, उनके सजेशंस भी आए। मैं उन सभी का आभार प्रकट करता हूँ।... (व्यवधान)

माननीय सभापति जी, सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि 170 साल पुराना यह विभाग है। यह कोई सामान्य विभाग नहीं है।... (व्यवधान) यह विभाग एक इतिहास की कड़ी है, यह विभाग हमारे गौरवशाली सांस्कृतिक इतिहास की कड़ी है। 'डाकिया केवल डाक लाया', यह उस समय की बात थी।... (व्यवधान) उस समय डाकिया हर परिवार का सदस्य था, वैसे ही लगभग 1 लाख 64 हजार पोस्ट ऑफिसेज के जरिए आज हमारी सरकार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, इनकी प्रेरणा से हर गांव, हर घर, हर व्यक्ति तक सिटीज़न सेंट्रिक सेवाएं दे रही है।... (व्यवधान)

सही मायने में, हमारी पार्टी की जो फिलॉसफी है, हम जो अंत्योदय की बात कर रहे हैं, सही मायने में उसकी जो भूमिका होती है, अगर सही मायने में अंत्योदय के संबंध में, किसी की सराहनीय भूमिका है, तो वह पोस्टल विभाग की है।... (व्यवधान)

हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी की कार्यशैली का मूलमंत्र रहा है- 'रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म।' हमारे विभाग ने इन्हीं कार्यशैली को आत्मसात करके पूरे विभाग को टेक्नोलॉजी ड्रिवेन बनाया है।... (व्यवधान)

(1420/PC/SRG)

जो आदरणीय प्रधान मंत्री जी बोलते हैं, 'मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस', तो टैक्नोलॉजी के जरिए आज हम इस मंत्र के साथ काम कर रहे हैं। ... (व्यवधान)

आदरणीय सभापति जी, यह बिल इन्हीं रिफॉर्म्स की एक बड़ी कड़ी है। ... (व्यवधान) आज भारत की नई पीढ़ी की आकांक्षा, अपेक्षा के अनुसार हमने भी अपने विभाग में कई नवाचार शुरू किए हैं। ... (व्यवधान) वर्ष 2018 से भी काफी नवाचार हुए। ... (व्यवधान) मैंने वर्ष 2018 में एक विशेष नवाचार किया – India Post Payments Bank (IPPB). इंडियन पोस्ट पेमेंट्स बैंक की सर्विस शुरू करने के बाद हर गांव में हम लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, वूमेन इम्पॉवर्मेंट और युवाओं के लिए एक तरीके से आने वाले अमृत काल में प्रधान मंत्री जी जिस अमृत स्तंभ की बात कर रहे हैं, वे चारों अमृत स्तंभ, चाहे वह महिलाओं की बात हो, चाहे वह युवाओं की बात हो, चाहे गरीबों की बात हो या किसानों की बात हो, इन चारों अमृत स्तंभों का सशक्तीकरण करने के लिए हमारे विभाग ने काफी काम किया है। ... (व्यवधान)

माननीय सभापति जी, मैं आपको कुछ आंकड़े देना चाहता हूं। ... (व्यवधान) महिला सशक्तीकरण की दिशा में हमारे विभाग ने 'सुकन्या समृद्धि योजना' के तहत तीन करोड़ अकाउंट्स खोलकर आज 1,41,000 करोड़ सेविंग अकाउंट्स में यह पैसा जमा किया है। ... (व्यवधान) हमने

'महिला सम्मान बचत पत्र' में, 22 लाख बचत पत्र में 14,000 करोड़ से ज्यादा महिलाओं ने सेविंग्स की हैं। ... (व्यवधान)

आईपीपीबी के आज आठ करोड़ से ज्यादा अकाउंट्स हैं। ... (व्यवधान) मुझे यह बताते हुए गर्व महसूस होता है कि इन आठ करोड़ अकाउंट्स में 48 परसेंट महिलाओं के अकाउंट्स हैं। ... (व्यवधान) युवाओं के लिए भी हमने काफी काम किया है। ... (व्यवधान) आज तक हमारे विभाग ने 1,28,000 से ज्यादा युवाओं को रोजगार देने का अवसर प्रदान किया है। ... (व्यवधान) हमने कई सोशल सर्विसेज शुरू की हैं। ... (व्यवधान) हमने करीब 400 से अधिक पासपोर्ट सेवा केन्द्र इस देश में शुरू किए हैं। ... (व्यवधान) हमने आधार कार्ड सेवा शुरू की है। ... (व्यवधान) आज दस करोड़ से ज्यादा आधार कार्ड हमारे पोस्टल विभाग ने बनाए हैं। ... (व्यवधान) हमने 'डाक निर्यात केन्द्र' शुरू किए हैं। ... (व्यवधान) डीबीटी के माध्यम से 28 करोड़ से ज्यादा बेनिफिशरीज आज पोस्टल विभाग से अपना बेनिफिट ले रहे हैं। ... (व्यवधान)

150 से अधिक सिटिजन सेंट्रिक सेवाएं चल रही हैं। ... (व्यवधान) इन 150 से अधिक सिटिजन सेंट्रिक सेवाओं में 90 प्लस सिटिजन सेंट्रिक सेवाएं केवल हमारा विभाग आज देश को प्रदान कर रहा है। ... (व्यवधान) कुछ दोस्तों ने आज सेक्शन-9 और सेक्शन-10 की बात की है। ... (व्यवधान) विशेष तौर पर कांग्रेस के साथियों ने, आदरणीय डॉ. शशि थरूर जी ने बात की है। ... (व्यवधान) मैं उनको एक उदाहरण देना चाहता हूं। ... (व्यवधान) वर्ष 1986 में कांग्रेस की सरकार ने, उनके प्रधान मंत्री यही अमेंडमेंट लेकर आए थे। ... (व्यवधान) यह अमेंडमेंट करने के बाद उन्होंने इस अमेंडमेंट के साथ नया बिल ... (व्यवधान) ठीक है, ये रूल्स एंड रेगुलेशंस जब हम लाएंगे, तब हम बात कर सकते हैं। ... (व्यवधान) सेक्शन-9 और सेक्शन-10 हमने ऑलरेडी सबके सामने रखा है कि क्या पब्लिक सेफ्टी के लिए देश हित में सेक्शन लगाना चाहिए? ... (व्यवधान) इन सुधारों के साथ यह एक छोटा सा बिल है, लेकिन आने वाले समय में देश हित में, समाज हित में बहुत बड़ा परिवर्तनकारी यह बिल रहेगी।

मैं यही बात कह के अपनी बात को समाप्त करता हूं। मैं इस बिल को पास करने के लिए सभी सांसदों से निवेदन करता हूं।

(इति)

... (<u>व्यवधान</u>)

माननीय सभापति (श्री राजेन्द्र अग्रवाल) : माननीय सदस्यगण, इतने महत्वपूर्ण बिल पर चर्चा हो रही है। आपने उसके अंदर भाग नहीं लिया। यह ठीक नहीं है। आपका इस प्रकार का असहयोग अच्छा नहीं है। आप सब बहुत जिम्मेदार माननीय सांसद हैं। आपको कृपया इस बिल की चर्चा के अंदर भाग लेना चाहिए था, अपने विचार रखने चाहिए थे।

... (<u>व्यवधान</u>)

माननीय सभापति : सभा की कार्यवाही 2 बजकर 45 मिनट तक के लिए स्थगित की जाती है।

1423 बजे

<u>तत्पश्चात लोक सभा चौदह बजकर पैंतालिस मिनट तक के लिए स्थगित हुई।</u>

(1445/CS/RCP)

1445 बजे

लोक सभा चौदह बजकर पैंतालीस मिनट पर पुनः समवेत् हुई।

(श्री राजेन्द्र अग्रवाल पीठासीन हुए)

… (व्यवधान)

1445 बजे

(इस समय डॉ. के. जयकुमार, डॉ. टी. सुमति (ए) तामिझाची थंगापंडियन, श्री कौशलेन्द्र कुमार, डॉ. थोल तिरुमावलवन, श्री ई. टी. मोहम्मद बशीर. और कुछ अन्य माननीय सदस्य आकर पटल के निकट खड़े हो गए।)

… (व्यवधान)

POST OFFICE BILL --- Contd.

1445 hours

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

> "कि भारत में डाकघर से संबद्ध विधि का समेकन और संशोधन करने तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन, एडवोकेट ए.एम. आरिफ, प्रो. सौगत राय, श्रीमती प्रतिमा मण्डल, डॉ. आलोक कुमार सुमन, श्रीमती अपरूपा पोद्दार, श्री अधीर रंजन चौधरी, श्री रितेश पाण्डेय और एडवोकेट डीन कुरियाकोस, आप सभी ने विधेयक पर अपने संशोधन दिए हैं। आप अपनी सीट पर वापस जाकर संशोधन प्रस्तुत करें, अन्यथा मैं सभी खंडों को एक साथ विचार के लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 से 16 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 से 16 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : मंत्री जी, अब आप प्रस्ताव कीजिए कि विधेयक को पारित किया जाए।

… (व्यवधान)

THE MINISTER OF RAILWAYS, MINISTER OF COMMUNICATIONS AND MINISTER OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY (SHRI ASHWINI VAISHNAW): Sir, I beg to move:

"That the Bill be passed."

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : सभा की कार्यवाही 3 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

1448 बजे

तत्पश्चात लोक सभा पन्द्रह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

(1500/IND/PS)

1500 बजे

लोक सभा पन्द्रह बजे पुनः समवेत् हुई।

(श्री राजेन्द्र अग्रवाल पीठासीन हुए)

... (व्यवधान)

सदस्यों का नाम लेना

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, श्री कल्याण बनर्जी, श्री ए. राजा, श्री दयानिधि मारन, डॉ. के. जयकुमार, श्रीमती अपरूपा पोद्दार, श्री प्रसून बनर्जी, श्री ई. टी. मोहम्मद बशीर, श्री जी. सेल्वम, श्री सी.एन. अन्नादुरई, श्री अधीर रंजन चौधरी, डॉ. टी. सुमति (ए) तामिझाची थंगापंडियन, श्री के. नवासखनी, डॉ. कलानिधि वीरास्वामी, श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन, प्रो. सौगत राय, श्रीमती शताब्दी राय (बनर्जी), श्री असित कुमार मल, श्री कौशलेन्द्र कुमार, श्री एंटो एन्टोनी, श्री एस. एस. पलानीमणिक्कम, श्री अब्दुल खालेक, श्री सु. थिरुनवुक्करासर, श्री विजयकुमार उर्फ विजय वसंत, श्रीमती प्रतिमा मण्डल, डॉ. काकोली घोष दस्तीदार, श्री के. मुरलीधरन, श्री सुनील कुमार मंडल, श्री एस. रामलिंगम, श्री कोडिकुन्नील सुरेश, डॉ. अमर सिंह, श्री राजमोहन उन्नीथन, श्री गौरव गोगोई और श्री टी.आर. बालू से बार-बार अनुरोध किया गया, माननीय स्पीकर महोदय ने अनुरोध किया कि प्लेकार्ड मत लाइए, मर्यादा भंग मत कीजिए, परंतु आपने किसी भी प्रकार से अनुरोध को स्वीकार नहीं किया। मैं आप सभी माननीय सदस्यों को नेमिंग कर रहा हूं।

MOTION RE: SUSPENSION OF MEMBERS

1501 hours

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, MINISTER OF COAL AND MINISTER OF MINES (SHRI PRALHAD JOSHI): Hon. Chairperson, Sir, with your permission, I beg to move:

> "That this House, having taken a serious note of the misconduct of Shri Kalyan Banerjee, Shri A. Raja, Shri Dayanidhi Maran, Shrimati Aparupa Poddar, Shri Prasun Banerjee, Shri E.T. Mohammed Basheer, Shri G. Selvam, Shri C.N. Annadurai, Shri Adhir Ranjan Chowdhury, Dr. T. Sumathy *Alias* Thamizhachi Thangapandian, Shri K. Navaskani, Dr. Kalanidhi Veeraswamy, Shri N. K. Premachandran, Prof. Sougata Ray, Shrimati Satabdi Roy (Banerjee), Shri Asit Kumar Mal, Shri Kaushalendra Kumar, Shri Anto Antony, Shri S. S. Palanimanickam, Shri Su. Thirunavukkarasar, Shrimati Pratima Mondal, Dr. Kakoli Ghosh Dastidar, Shri K. Muraleedharan, Shri Sunil Kumar Mondal, Shri S. Ramalingam, Shri Kodikunnil Suresh, Dr. Amar Singh, Shri Rajmohan Unnithan, Shri Gaurav Gogoi, and Shri T. R. Baalu in utter disregard to the House and the authority of the Chair including by display of placards in the House and having been named by the Chair, resolve that the above-mentioned Members may be also suspended from the service of the House for the remainder of the Session under Rule 374(2)."

HON. CHAIRPERSON: The question is:

> "That this House, having taken a serious note of the misconduct of Shri Kalyan Banerjee, Shri A. Raja, Shri Dayanidhi Maran, Shrimati Aparupa Poddar, Shri Prasun Banerjee, Shri E.T. Mohammed Basheer, Shri G. Selvam, Shri C.N. Annadurai, Shri Adhir Ranjan Chowdhury, Dr. T. Sumathy *Alias* Thamizhachi Thangapandian, Shri K. Navaskani, Dr. Kalanidhi Veeraswamy, Shri N. K. Premachandran, Prof. Sougata Ray, Shrimati Satabdi Roy (Banerjee), Shri Asit Kumar Mal, Shri Kaushalendra Kumar, Shri Anto Antony, Shri S. S. Palanimanickam, Shri Su. Thirunavukkarasar, Shrimati Pratima Mondal, Dr. Kakoli Ghosh Dastidar, Shri K. Muraleedharan, Shri Sunil Kumar Mondal, Shri S. Ramalingam, Shri Kodikunnil Suresh, Dr. Amar Singh, Shri Rajmohan Unnithan, Shri Gaurav Gogoi, and Shri T. R. Baalu in utter disregard to the House and the authority of the Chair including by

display of placards in the House and having been named by the Chair, resolve that the above-mentioned Members may be also suspended from the service of the House for the remainder of the Session under Rule 374(2)."

The motion was adopted.

MOTION RE: REFERRING QUESTION OF PRIVILEGE AGAINST DR. K. JAYAKUMAR, SHRI ABDUL KHALEQUE AND SHRI VIJAYKUMAR *ALIAS* VIJAY VASANTH, MPs TO COMMITTEE OF PRIVILEGES

1503 hours

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, MINISTER OF COAL AND MINISTER OF MINES (SHRI PRALHAD JOSHI): Hon. Chairperson, Sir, with your permission, I beg to move:

"That Dr. K. Jayakumar, Shri Abdul Khaleque and Shri Vijaykumar *Alias* Vijay Vasanth, MPs be suspended till the Report of the Committee of Privileges for creating grave disorder in the House. The behaviour of the above said Members may kindly be referred to the Privileges Committee and they need to be suspended till the Committee gives its Report."

HON. CHAIRPERSON: The question is:

"That Dr. K. Jayakumar, Shri Abdul Khaleque and Shri Vijaykumar *Alias* Vijay Vasanth, MPs be suspended till the Report of the Committee of Privileges for creating grave disorder in the House. The behaviour of the above said Members may kindly be referred to the Privileges Committee and they need to be suspended till the Committee gives its Report."

The motion was adopted.

माननीय सभापति: सभा की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक 19 दिसम्बर, 2023 को प्रात: 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

1504 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 19 दिसम्बर 2023 / 28 अग्रहायण 1945 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।